



आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank

असाधारण सामान्य बैठक

गुरुवार 12.03.2015 को 11.30 बजे
स्थान: श्री सत्य साईं निगमागमम, 8-3-987/2,
श्री नगर कालोनी, हैदराबाद – 500 073

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

on

Thursday, 12.03.2015 at 11.30 A.M.
at Sri Sathya Sai Nigamagmam, 8-3-987/2,
Sri Nagar Colony, Hyderabad - 500 073

प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.
Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.



आन्ध्रा बैंक Andhra Bank

विषय सूची CONTENTS

	पृष्ठ संख्या Page No.
सूचना.....	2
NOTICE.....	11
सूचना से संबंधित टिप्पणियाँ	2
NOTES TO NOTICE	11
घोषणा	20
DECLARATION	21
नामांकन फार्म	22
NOMINATION FORM	23
व्यक्तिगत सूचना, घोषणा पत्र एवं वचन पत्र	24
PERSONAL INFORMATION, DECLARATION & UNDERTAKING.....	28
उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पास, बैलट पेपर पास	32
ATTENDANCE SLIP, ENTRY PASS, BALLOT PAPER PASS.....	33
प्रॉक्सी फार्म	34
PROXY FORM	35
अधिनियमों, योजना तथा विनियमों इत्यादि के उद्धरण	36
EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS ETC.....	44

CALENDAR OF IMPORTANT EVENTS

Specified / Cut – off date for ascertaining the shareholders entitled to participate in the election	Friday, 30th January, 2015
Last date for submission of nomination forms on or before	Thursday, 19th February, 2015 (Upto 5.00 p.m.)
Scrutiny of Nominations	Friday, 20th February, 2015
E-Voting	Friday, 06th March, 2015 (From 10.00 a.m.) to Sunday, 08th March, 2015 (Till 5.00 p.m.)
Last date of receipt of Proxy Forms and resolutions appointing Authorised Representatives	Saturday, 7th March, 2015 (Upto 2.00 p.m.)
Date and time of Extraordinary General Meeting	Thursday, 12th March, 2015 (At 11.30 a.m.)

प्रधान कार्यालय : डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.

शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष : डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट : मेसर्स एमसीएस लिमिटेड, काशीराम जमनादास बिल्डिंग, ऑफिस संख्या 21/22, भूतल 5, पी डीमेलो रोड, घड़ियाल गोदी, मुम्बई – 400 009.

Head Office : Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

Shareholders & Investor Grievances Cell : Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

Registrar & Share Transfer Agents : M/s. MCS Limited, Kashiram Jamnadas Bldg, Office No. 21/22, Ground Floor 5, P.D'Mello Road, Ghadiyal Godi, Mumbai - 400 009.



शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष
प्रधान कार्यालय : डॉ पट्टाभि भवन
5-9-11, सैफाबाद
हैदराबाद 500004 (तेलंगाना)

सूचना

आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित व्यापार हेतु आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक गुरुवार, 12 मार्च, 2015 को प्रातः 11.30 बजे श्री सत्य साई निगमागमम्, 8-3-987/2, श्री नगर कॉलोनी, हैदराबाद- 500 073, तेलंगाना में आयोजित की जाएगी: केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों से तीन निदेशकों को चुनने के लिए, जिनसे निर्धारित अनुसार वैध नामांकन प्राप्त हुआ है, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 (अब से "विनियम अधिनियम" कहा जाएगा), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1980 (अब से "योजना" कहा जाएगा) और आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003 (अब से "विनियम" कहा जाएगा) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9(3)(i) (अब से "अधिनियम" कहा जाएगा) और भारतीय रिजर्व बैंक के दि. 23 मई 2011 की सं. डीबीओडी.बीसी.नं.95/29.30.001/2010-11 के साथ पठित अधिसूचना नं. डीबीओडी नं.बीसी.नं.46 तथा 47/29/39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 (अब से भा.रि.बैंक "अधिसूचना" कहा जाएगा) के अनुसार चुने गए निदेशकों की रिक्तियों को भरने के लिए, जिनका कार्यकाल 13 मार्च, 2015 को समाप्त हो रहा है, और निम्नलिखित संकल्प पारित करने के लिए-

' संकल्प किया जाता है कि संबंधित योजना, इसके अंतर्गत बनाए विनियम और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) (i) के अनुसरण में केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चयनित तीन निदेशकों को एतद्वारा बैंक के निदेशकों के रूप में नियुक्त हो और किया जाए और वे 14 मार्च 2015, जो वर्तमान शेयरधारक निदेशकों की सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद की तारीख है, से कार्यभार ग्रहण करेंगे और निदेशकों के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति तक सेवा में रहेंगे ।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते आन्ध्रा बैंक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 30.01.2015

(वाई. अमरनाथ)
उप महाप्रबंधक एवं
कंपनी सचिव

नोट:

- व्याख्यात्मक विवरण**
बैंक में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
- वोट देने का अधिकार**
अधिनियम के खंड 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अतिरिक्त सम अनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा रखे गए किन्हीं शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के एक प्रतिशत से अधिक हो तो वोट देने के अधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा ।
उक्त के होते हुए, विनियम 68 के अनुसार **कट-आफ (रिकाई) तिथि याने शुक्रवार, 30 जनवरी, 2015** को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक के पास ई-वोटिंग/मतदान द्वारा वोटिंग में उसके प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट होगी।
संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग करना
विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम होंगे, रजिस्टर में प्रथम व्यक्ति को, वोटिंग के संबंध में, उसका एकमात्र धारक माना जाएगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम होंगे, तो केवल प्रथम व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने हेतु पात्र होगा तथा केवल वही बैठक में वोट करने, चुनाव तथा नामांकन हेतु पात्र है ।

3. **चुनाव हेतु तथा वोट / ई-वोट हेतु 3 निदेशक चुनने के लिए पात्र शेरधारकों की सुनिश्चितता हेतु कट-आफ (रिकार्ड) तिथि**

विनियमों के विनियम 12 के अनुसरण में चुनाव में भाग लेने हेतु शेरधारकों के नाम के निर्धारण के उद्देश्य से अंतिम तिथि **शुक्रवार, 30 जनवरी, 2015 कट-आफ (रिकार्ड) तिथि** है याने सूचना में वर्णित अनुसार केंद्रीय सरकार के अलावा बैंक के शेरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशकों के चुनाव हेतु वोट/ई-वोट तथा नामांकन एवं चुनाव लड़ने हेतु अंतिम तिथि।

4. **प्राक्सी की नियुक्ति**

बैठक में भाग लेने व वोट देने हेतु पात्र शेरधारक बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए किसी प्राक्सी को नियुक्त कर सकता है और ऐसा प्राक्सी बैंक का शेरधारक होना आवश्यक नहीं है।

तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्राक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

आन्धा बैंक के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को प्राक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

विनियम 70(vi) के अनुसार, प्राक्सी के प्रलेख के प्रदाता को ऐसे प्रलेख से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने की पात्रता नहीं होगी।

प्राक्सी की नियुक्ति के संबंध में पत्र, बैंक के प्रधान कार्यालय में उप महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव, शेरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004, तेलंगाना में असाधारण आम बैठक से कम से कम **चार दिन** पहले याने शनिवार **07 मार्च, 2015** को बैंक के कार्य समय समाप्त होने याने अपराह्न 2.00 बजे से पहले प्राप्त होना चाहिए।

5. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

कोई भी व्यक्ति आन्धा बैंक के शेरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा या वोट नहीं दे सकता जब तक कि उसे किसी कंपनी के निगम या निकाय जो बैंक के शेरधारक हो, के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की प्रति, जोकि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सही प्रतिलिपि, जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, बैंक के प्रधान कार्यालय में उप महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव, शेरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004, तेलंगाना में असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम **चार दिन** पहले याने शनिवार **07 मार्च, 2015** को बैंक के कार्य समय समाप्त होने याने अपराह्न 2.00 बजे से पहले प्राप्त होना चाहिए।

आन्धा बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

6. **उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश कार्ड सह बैलट पेपर**

शेरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश कार्ड सह बैलट पेपर इस सूचना के साथ संलग्न है। शेरधारक/ प्राक्सीधारक/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे पर्ची में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक के स्थान पर उन्हें दे दें। तत्पश्चात् उन्हें प्रवेश कार्ड सह बैलट पेपर पास जारी किया जाएगा । प्राक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास में "प्राक्सी " या "प्राधिकृत प्रतिनिधि", जैसा भी मामला हो, अंकित करना है।

7. **मतदान प्रक्रिया**

निदेशकों के चुनाव हेतु मतदान हाथ उठाने के आधार पर नहीं होगा तथा गुप्त मतदान द्वारा ई-वोटिंग/मतदान से होगा ।

8. **इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग**

सेबी परिपत्र दिनांक 17.04.2014 के अनुपालन में तथा कंपनीज (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित लिस्टिंग एग्जीमेंट एंड स्टॉक एक्सचेंज के खंड 35 ख के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक सहर्ष असाधारण आम बैठक में अपने सदस्यों के लिए, भौतिक बैलट के अलावा, मतदान के विकल्प-माध्यम के रूप में ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करता है, जो उन्हें इलैक्ट्रॉनिकली वोट देने तथा संकल्प पारित करने हेतु सक्षम बनाएगी । इस उद्देश्य हेतु, बैंक ने अपने सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिकली वोट देने हेतु ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु मैसर्स सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि (सीडीएसएल) को नियुक्त किया है । बैंक ने ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न करने हेतु जांचकर्ता के रूप में मैसर्स टी आर रामभद्रन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, हैदराबाद को भी नियुक्त किया है ।

ई-मतदान वैकल्पिक है ।

इलैक्ट्रॉनिकली मतदान हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नलिखित हैं :-

- (i) मतदान अवधि 06.03.2015 प्रातः 10.00 बजे प्रारंभ होती है तथा 08.03.2015 5.00 बजे तक समाप्त होती है । इस अवधि के दौरान, बैंक के शेरधारक, जिनके पास 30.01.2015 की अंतिम तिथि (रिकार्ड तिथि)

तक भौतिक रूप अथवा अमूर्त रूप में शेयर हैं, इलैक्ट्रॉनिकली अपना वोट दे सकते हैं। उसके पश्चात मतदान हेतु ई-मतदान मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा।

- (ii) शेयरधारकों को ई-मतदान वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना चाहिए।
- (iii) शेयरधारकों पर क्लिक करें।
- (iv) अब अपना यूजर आईडी एंटर करें।
 - क) सीडीएसएल हेतु -16 अंक हिताधिकारी आईडी
 - ख) एनएसडीएल हेतु - 8 करेक्टर डीपी आईडी, फिर 8 अंक ग्राहक आईडी
 - ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नम्बर एंटर करना चाहिए।
- (v) प्रदर्शित इमेज-जांच एंटर करें और लॉग-इन पर क्लिक करें।
- (vi) यदि आपके शेयर डीमेट रूप में हो एवं www.evotingindia.com में लॉग किया गया हो एवं किसी कंपनी में पहले वोट दिया हो तो आपके विद्यमान पासवर्ड का प्रयोग किया जाना है।
- (vii) यदि आप पहली बार प्रयोग कर रहे हों तो नीचे दिये चरणों का अनुसरण करें।

	डीमेट रूप में एवं भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन	<p>आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंक अल्फा-न्यूमेरिक *पैन* प्रविष्ट करें। (डीमेट शेयरधारियों एवं भौतिक शेयरधारियों, दोनों के लिए लागू है)</p> <ul style="list-style-type: none"> • उन सदस्यों से जिन्होंने अपने पैन को बैंक/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसीपेंट के साथ अद्यतन नहीं किया है, अनुरोध किया जाता है कि वे पैन के स्थान पर अपने नाम के पहले दो अक्षर एवं सीक्वेन्स के 8 अंकों का प्रयोग करें। • यदि सीक्वेन्स नंबर 8 अंकों से कम हो तो बड़े अक्षरों में नाम के पहले दो अक्षरों के बाद नंबर के पहले आवश्यकतानुसार शून्य प्रविष्ट करें। उदाहरणस्वरूप- यदि सीक्वेन्स नंबर 1 के साथ आपका नाम रमेश कुमार हो तो पैन के स्थान पर RA00000001 प्रविष्ट करें।
जन्म तिथि	कथित डीमेट खाते या फोलिओ के लिए दिन/माह/वर्ष फॉर्मट में अपने डीमेट खाते या बैंक के खाते / आरटीए रिकार्ड में रिकार्ड की गयी जन्म तिथि प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक का ब्यौरा	<p>कथित डीमेट खाते या फोलिओ के लिए अपने डीमेट खाते या बैंक के खाते / आरटीए रिकार्ड में दिये गये अनुसार लाभांश बैंक का ब्यौरा प्रविष्ट करें।</p> <ul style="list-style-type: none"> • कृपया लॉगइन के लिए जन्म तिथि या लाभांश बैंक का ब्यौरा प्रविष्ट करें। यदि डिपॉजिटरी / बैंक / आरटीए में ब्यौरा रिकार्ड न किया गया हो तो कृपया अनुदेश (iv) में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक के ब्यौरा स्थान पर नंबर आईडी / फोलिओ नंबर प्रविष्ट करें।

- (viii) इन ब्यौरों को ठीक रूप से प्रविष्ट करने के बाद सबमिट टैब पर क्लिक करें।
- (ix) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को सीधा कंपनी सिलेक्शन स्क्रीन में पहुँचना है। तथापि, डीमेट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को अब पासवर्ड क्रीएशन मेनु में जाना है जिसमें उनको नये पासवर्ड स्थान पर अपना लॉगइन पासवर्ड प्रविष्ट करना अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि डीमेट धारक द्वारा किसी अन्य कंपनी, जिसमें वे वोट देने के लिए पात्र हैं, के संकल्प के लिए वोट देने हेतु भी इस पासवर्ड का प्रयोग करना है बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के जरिए ई वोटिंग का विकल्प दे। यह सख्तीपूर्वक सिफारिश की जाती है कि आप किसी अन्य व्यक्ति को पासवर्ड प्रकट न करें एवं अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सतर्कता बरतें।
- (x) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए ब्यौरे का प्रयोग केवल इस नोटिस में स्थित संकल्प पर ईवोट देने के लिए करना है।
- (xi) संबंधित <कंपनी का नाम> जिनको आप वोट देना चाहते हैं, के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें।
- (xii) आप वोटिंग पृष्ठ पर " रिजोल्यूशन डिस्क्रिप्शन " एवं उसके सामने वोट देने के लिए विकल्प " हाँ / नहीं " पायेंगे। अपनी इच्छानुसार विकल्प हाँ या नहीं का चयन करें। विकल्प हाँ से अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत हैं एवं विकल्प नहीं से यह अभिप्राय है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।
- (xiii) यदि आप संपूर्ण संकल्प का ब्यौरा चाहते हो तो " रिजोल्यूशन फाइल लिंक " पर क्लिक करें।
- (xiv) संकल्प का चयन करने के उपरांत आप वोट देने का निर्णय लेकर " सबमिट " पर क्लिक करें। पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हो तो " ओके " पर क्लिक करें, यदि अपना वोट बदलना चाहते हो तो " कैंसल " पर क्लिक करें एवं तदनुसार अपना वोट आशोधित करें।

- (xv) आप एक बार संकल्प पर अपने वोट की " पुष्टि " करने पर आपको अपना वोट आशोधित करने की अनुमति नहीं है।
- (xvi) आप अपने वोट का प्रिंट वोटिंग पृष्ठ पर " क्लिक हियर टू प्रिंट " विकल्प पर क्लिक करके ले सकते हैं।
- (xvii) यदि डीमेट खाताधारक उसी पासवर्ड को भूल गया हो तो यूजर आईडी एवं इमेज वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करें एवं " फर्गेट पासवर्ड " पर क्लिक करें एवं सिस्टम द्वारा मांगे गये के अनुसार ब्यौरा प्रविष्ट करें।
- (xviii) गैर व्यक्ति शेयरधारकों के लिए **नोट (संस्थागत निवेशक)** एवं अभिरक्षक
- गैर व्यक्ति शेयरधारकों (यानी व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त परिवार, अनिवासी भारतीय इत्यादि को छोड़कर) एवं अभिरक्षकों को www.evotingindia.com में लॉग ऑन करने एवं अपने आपको कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता है।
 - इकाई के स्टॉप एवं हस्ताक्षर के साथ पंजीकरण फार्म की स्कैन प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल करनी चाहिए।
 - लॉगइन ब्यौरा प्राप्त होने के बाद एडमिन लॉगइन एवं पासवर्ड का प्रयोग करके एक अनुपालन यूजर सृजित किया जाना चाहिए। अनुपालन यूजर खाते को जोड़ने में सक्षम होगा जिसको वे वोट देना चाहते हैं।
 - खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल करनी चाहिए एवं खातों का अनुमोदन होने पर वे अपना वोट दे पायेंगे ।
 - बोर्ड संकल्प एवं मुखतारनामा (पीओए) की स्कैन प्रति, जो उन्होंने अभिरक्षक के नाम जारी की है, यदि हो, पीडीएफ फार्मेट में ई मेल ravinanju26@gmail.com के जरिए जांचकर्ता को उसकी जाँच के लिए भेजनी चाहिए।

सामान्य सूचना :

- (क) वोट देने की अवधि 6 मार्च 2015, शुक्रवार सुबह 10 बजे प्रारंभ होगी एवं 8 मार्च 2015, रविवार शाम 05.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक, चाहे भौतिक रूप में शेयर हो या डीमेट रूप में, कट ऑफ तारीख (रिकार्ड तारीख) 30 जनवरी 2015 को अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप में दे सकते हैं। तदुपरांत, सीडीएसएल द्वारा वोट देने के लिए ई वोट मोड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा। शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर वोट दे दिये जाने पर बाद में शेयरधारक को उसे परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है।
- (ख) यदि आपको ई वोट देने के संबंध में कोई संदेह या समस्या हो तो आप बार-बार पूछे गये प्रश्न (एफएओ) का संदर्भ ले सकते हैं एवं हेल्प - सेक्शन के अंतर्गत ई वोटिंग मेनुअल www.evotingindia.com में उपलब्ध है या helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल भेजें।
- (ग) आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना वोट ई वोटिंग के जरिए या ईजीएम में पोल के जरिए दें। यदि आप अपना वोट दोनों मोड के जरिए देंगे तो ई वोटिंग के जरिए दिये गये वोट पर ही विचार किया जाएगा एवं बैठक में पोल के जरिए दिये गये वोट को अस्वीकार किया जाएगा।
- 9 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा घोषणा के तुरन्त पश्चात बैलट पेपर जारी किए जायेंगे। बैलट-पेपर पास का भाग, मतदान के समय बैलट-पेपर प्राप्त करने हेतु इस उद्देश्य हेतु बनाए गए काउंटरों पर सौंपे जायेंगे। प्रविष्टि-पास बैठक की समाप्ति तक रखना होगा। अधिनियम की धारा 3(2 ई) के अनुसार कुल सीमा तक, वोटों की कुल संख्या जनवरी 30, 2015 को उनके पास शेयरों की संख्या के समकक्ष होगी।
- शेयरधारक बैलट पेपर में अपनी ईच्छा के उम्मीदवार के नाम पर (अधिकतम 3 उम्मीदवार तक) रबड़-मोहर लगाकर (x) अपने अधिकार का प्रयोग कर, उसे मतदान-पेटी में डाल सकते हैं।
- उसके पश्चात वोटों की गिनती प्रारम्भ होगी।
- ई-मतदान तथा मतदान का समेकित परिणाम बैंक तथा डिपॉजिटरी जैसे सीडीएसएल की वेबसाइट पर रखा जाएगा तथा ईजीएम के 2 दिन के अन्दर, स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा।

व्याख्यात्मक विवरण

कार्यसूची मद : तीन शेयरधारक निदेशकों का चुनाव

भारत सरकार के अलावा शेयरधारकों के पास बैंक की शेयर पूंजी का 39.8565 % है। बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(i) के अनुसार, आन्धा बैंक अपने बोर्ड में बतौर निदेशक अधिकतम तीन शेयरधारक रखने हेतु पात्र हैं जो बैंक के शेयरधारकों (केन्द्रीय सरकार के अलावा) का प्रतिनिधित्व करेंगे।

वर्तमान तीन शेयरधारक निदेशक, श्री जी आर सुन्दरवडिवेल, श्री कैलाशम रघुरामन तथा प्रो. नंदलाल एल शारडा 13.03.2015 तक निदेशक के पद पर रहेंगे तथा वे 13.03.2015 को कार्यालय-समय के पश्चात अपना पद रिक्त करेंगे। उक्त अधिनियम के अनुसार, उक्त रिक्तियों को भरने हेतु, केन्द्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों द्वारा तीन निदेशक चुने जाने अपेक्षित हैं।

तदनुसार, बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशकों के चुनाव हेतु आवश्यक संकल्प पारित करने के लिए ईजीएम हेतु सूचना दी जा रही है।

अतएव, शेयरधारक (केन्द्रीय सरकार के अलावा) विभिन्न सम्बन्धित अधिनियम/योजना/विनियमों/अधिसूचना में दी गई विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन भेजने हेतु पात्र हैं, जिनके सम्बन्धित भाग यहां नीचे दर्शाए गए हैं :-

तीन निदेशक नामांकनों (यदि वैध नामांकनों की संख्या रिक्तियों की संख्या के बराबर हो) की जांच के पश्चात अथवा यदि प्रत्याशी अधिक हों, तो मार्च 12, 2015 को होने वाले चुनाव में, चुने जायेंगे। ऐसे चुनाव के पश्चात, वे मार्च 14, 2015 को कार्य-भार सम्भालेंगे तथा तब से तीन वर्ष की अवधि तक पद पर रहेंगे।

कानूनी प्रावधान

निम्न सारणी इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियम/ योजना / विनियम/अधिसूचनाओं में निहित प्रावधान दर्शाती है।

अधिनियम/ योजना / विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 16 (1)	➤ सामान्य निदेशकों का निषेध
	धारा 20	➤ अपने निदेशकों को या उनकी ओर से ऋण या अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध
बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9(3एए) धारा 9(3एबी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	➤ वोटिंग अधिकारों पर प्रतिबंध ➤ शेयरधारकों द्वारा चुने जानेवाले निदेशकों की संख्या ➤ कतिपय क्षेत्रों की विशेष जानकारी ➤ कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ट्रैक रिकार्ड, निष्ठा और भारिबैं द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य मानकों के आधार पर सही एवं उचित व्यक्ति न हो। ➤ उक्त अधिनियम की धारा 9(ए) और 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने पर ऐसे चुने गए निदेशक को हटाने का भारिबैं का अधिकार ➤ निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1980	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11बी खंड 12(8)	➤ चुने गए निदेशकों की कार्यवधि ➤ बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अनर्हता ➤ निदेशक के पद का रिक्त होना ➤ चयनित निदेशक का पद से हटाया जाना ➤ चुने हुए निदेशक के कार्यालय में रिक्त स्थान भरना ➤ निदेशकों द्वारा कतिपय व्यवस्था, जिनमें उनका हित हो, में हित का प्रकटन
आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003	विनियम 10 विनियम 61 ए विनियम 61 बी विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68	➤ संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग ➤ मतदान में जाँचकर्ता ➤ मतदान प्रक्रिया तथा परिणाम ➤ आम बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक ➤ शेयरधारकों की सूची ➤ चुनाव हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन ➤ नामांकन की जांच ➤ चुनाव विवाद ➤ मतदान अधिकारों का निर्धारण

अधिनियम/ योजना / विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
	विनियम 69 विनियम 70	➤ विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान ➤ प्राक्सी
भारिबैं अधिसूचना नं. डीबीओडी नं.बीसी.नं.46 तथा 47/ 29/ 39.001/ 2007-08 दिनांक 01.11.2007 और सं. डीबीओडी. बीसी.नं.95/29.30.001/2010-11 दिनांक 23 मई 2011	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3एए) और धारा 9(3एबी) के अनुसरण में।	राष्ट्रीयकृत बैंकों के मंडल में चुने गए निदेशकों के लिए सही एवं उचित मानक
बैंक के बोर्ड में सरकारी नामितों निदेशक द्वारा सलाह के रूप में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. एफ. 16/83/2013-बीओआई, 03.09.2013	जन-हित तथा पारदर्शिता से बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य करने हेतु शेयरधारक निदेशक चुनने हेतु, इस दिशा में अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश दि. 01.06.2011 भी उम्मीदवारों की 'सही एवं उचित' स्थिति के निर्धारण हेतु, ध्यान में रखे जाते हैं।	

संबंधित अधिनियम / योजना/ विनियम / अधिसूचनाओं आदि का उद्धरण

शेयरधारकों की सुविधा हेतु बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (एतदपश्चात 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं विविध उपबंध) योजना, 1980 (एतदपश्चात 'योजना' के रूप में संदर्भित) तथा आन्धा बैंक (शेयर तथा बैठकें) विनियम, 2003 (एतदपश्चात 'विनियम' के रूप में संदर्भित) तथा भारिबैं की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं.बीसी सं.46 तथा 47/29/39.001/2007-08, दि.01.11.2007 तथा सं. डीबीओडी.बीसी.सं. 95/29.39.001/2010-11, दि.23.05.2011 से संबंधित उद्धरण बैंक की वेबसाइट www.andhrabank.co.in पर उपलब्ध होंगे। उन्हें इस सूचना के अंत में भी दोहराया गया है। ऐसे उद्धरणों को नामांकन-फार्मों के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि याने 19 फरवरी, 2015 को या इससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में उप महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव, शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004, तेलंगाना को किए गए अनुरोध की प्राप्ति पर इच्छुक उम्मीदवारों को ई-मेल द्वारा भी भेजा जाएगा।

बैंक के निदेशक के रूप में चुन जाने के लिए आवश्यक अर्हताएँ

- (I) अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार वह उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है और बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक है, उसे
- (क) निम्न में से किसी एक अथवा अधिक विषयों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो :-
- कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था,
 - बैंकिंग,
 - सहकारिता,
 - अर्थशास्त्र,
 - वित्त,
 - विधि,
 - लघु उद्योग,
 - किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव, जो भारिबैं की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो।
- (ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा
- (ग) किसानों, कामगारों और शिल्पकारों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो
- (II) अधिनियम की धारा 9(3एए) के अनुसार उम्मीदवार बैंक के शेयरधारक होने और जो बैंक के निदेशक बनने के इच्छुक हैं, उन्हें इस संबंध में समय-समय पर भारिबैं के निदेशों / अधिसूचनाओं के अनुसरण में 'सही एवं उचित' हैसियत होनी चाहिए।
- (III) इसके अतिरिक्त चयनित निदेशक को प्रतिज्ञा पत्र निष्पादित करना चाहिए और उन्हें इस संबंध में भारिबैं द्वारा निर्धारित अनुसार वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अनर्हता

- ए. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1980 के खंड 10 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने हेतु अनर्हक होंगे :
- (ए) यदि उसे कभी भी दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा उसने भुगतान आस्थगित किया हो अथवा अपने ऋणदाता से समझौता किया हो; अथवा
- (बी) यदि वह असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में पाया गया हो और सक्षम न्यायालय ने उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में घोषित किया हो; अथवा
- (सी) यदि फौजदारी न्यायालय ने उसे आपराधिक सजा सुनायी हो अथवा उसने ऐसा अपराध किया हो जिसमें नैतिक भ्रष्टाचार सम्मिलित हो अथवा
- (डी) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (i) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी समनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता हो किंतु अपवाद स्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3(ई) व (एफ) खंडों के अंतर्गत बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से, प्रबंध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक का पद धारित कर सकता है।

और

बी. यदि वह बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा भारिबैं की दि.23 मई 2011 की सं.डीबीओडी.बीसी.नं.95/29.39.001/2010-11 के साथ पठित अधिसूचना डीबीओडी नं.बीसी नं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दि.01.11.2007 के अनुसार "सही एवं उचित" व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

प्रतियोगियों को शेयरधारकों की सूची

शेयरधारकों को चुनाव में भाग लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु, विनियमों के विनियम 64 में दर्शायी शेयरधारकों की पूर्ण सूची, अंतिम तिथि (रिकार्ड) याने शुक्रवार, जनवरी 30, 2015 के अनुसार, शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्र.का, डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद- 500 004, तेलंगाना में खरीद हेतु '**आन्धा बैंक**' के हित में हैदराबाद में देय किसी अनुसूचित बैंक के मांग ड्राफ्ट/भुगतान-आदेश द्वारा **50,000/-** रु. के पूर्व भुगतान पर शेयरधारकों द्वारा खरीद हेतु शनिवार फरवरी 07 से गुरुवार, फरवरी 19, 2015 तक उपलब्ध होगी।

शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर निरीक्षण के लिए प्रधान कार्यालय में सभी कार्यदिवस पर (रविवार और बैंक छुट्टी के अलावा अन्य दिन) याने सोमवार से शुक्रवार तक अपराह्न 3.00 बजे से 5.00 बजे और शनिवार प्रातः 11 बजे से 1.00 बजे तक उपलब्ध होगा। यदि कोई शेयरधारक रजिस्टर या उसके भाग की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट लेना चाहता है तो 5/- रु. प्रति 1000 शब्द या उसके भाग को कॉपी करने की दर से पूर्व भुगतान करने पर उन्हें उसकी आपूर्ति की जाएगी।

चुनाव में भाग लेना

ऐसे शेयरधारक, जिनके नाम एनएसडीएल/ सीडीएसएल/ एसटीए द्वारा शुक्रवार, जनवरी 30, 2015 तक प्रस्तुत अनुसार शेयरधारकों/हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में होंगे, भाग लेने हेतु याने केंद्रीय सरकार के अलावा, शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में नामांकन, चुनाव तथा वोट देने हेतु पात्र होंगे।

विनियम 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक जो शेयरधारक के रूप में शुक्रवार, जनवरी 30, 2015 अंतिम तिथि (रिकार्ड) को, आम बैठक की तिथि से पूर्व, पंजीकृत है, उसके पास ई-वोटिंग/मतदान हेतु प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगी।

चुनाव हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन

नामांकन की वैधता

विनियमों के विनियम 65 तथा भारिबैं की अधिसूचना डीबीओडी नं.बीसी नं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दि.01.11.2007 तथा दि.23 मई 2011 की सं. डीबीओडी. बीसी. नं. 95/29.39.001/2010-11 तथा विभिन्न अधिनियमों के लागू अन्य प्रावधानों के अनुरूप, निदेशक के रूप में चुनाव हेतु किसी उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा बशर्त कि :-

- ए) उसके पास चुनाव में भाग लेने हेतु **शुक्रवार, जनवरी 30, 2015** अंतिम तिथि (रिकार्ड) तक बैंक में 100 से कम शेयर न हों तथा उसके पास गुरुवार, मार्च 12, 2015 तक न्यूनतम 100 शेयर हों तथा अपनी अवधि की समाप्ति तक रहें, यदि उसका चुनाव हो जाता है।
- बी) गुरुवार, **फरवरी 19, 2015** (नामांकन-प्राप्ति की अंतिम तिथि) तक अधिनियम/विनियम अधिनियम/ योजना/ विनियम / भारिबैं की अधिसूचनाओं के अंतर्गत वह निदेशक के रूप में अयोग्य न हो।
- सी) नामांकन इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को चुनने का हक रखने वाले कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत नियत वकील द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन लिखित रूप में हो, परंतु यह कि कोई शेयर-धारक, जो एक कंपनी हो, कथित कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकेगा और और जहाँ ऐसा

किया गया हो, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प कंपनी के निदेशकों के संकल्प की प्रति को सही प्रति के रूप में सत्यापित कर बैंक के प्रधान कार्यालय में उप महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव, शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004 तेलंगाना को प्रेषित किया जाना है और उक्त प्रति को संबंधित कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा।

- डी) शेयरधारकों द्वारा नामांकन (न्यूनतम 100) प्रत्याशी की घोषणा के साथ किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित इस आशय का एक घोषणा पत्र हो कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़े होने का इच्छुक है और यह कि इस अधिनियम के तहत या इस योजना या विनियम के तहत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
- ई) नामांकन फार्म और घोषणा फार्म विनियम में यथा निर्धारित और संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार हो (प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट www.andhrabank.in में उपलब्ध है।

नामांकन फार्मा का प्रस्तुतीकरण

केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक के चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक शेयरधारकों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुत किया जाए:

- ए) विधिवत् भरा घोषणा फार्म
- बी) चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र न्यूनतम सौ शेयरधारकों से नामांकन
- सी) व्यक्तिगत सूचना, घोषणा और वचन पत्र संबंधित प्रलेखों के साथ, प्रमाण-पत्र यथा बयो-डाटा, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि के प्रमाण-पत्र
- सूचना से संलग्न फार्मेट में बंद लिफाफे में सभी पहलुओं में संपूर्ण संबंधित प्रलेखों के साथ असाधारण आम बैठक के लिए गुरुवार, 19 फरवरी 2015 अपराह्न 5.00 बजे से पहले याने बैंक के कार्य-समय से पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में उप महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव, शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004 तेलंगाना में प्रस्तुत किए जाएं अन्यथा, नामांकन अस्वीकार किए जा सकते हैं।

नामांकन की जाँच

- (i) नामांकनों की जाँच बैंक द्वारा प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्रथम कार्य दिवस याने शुक्रवार, 20 फरवरी 2015 को की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, उसका कारण उल्लिखित करने के बाद उसे अस्वीकार किया जाएगा।
- (ii) भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार 'सही एवं उचित स्थिति' निर्धारित करने हेतु बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा नामांकन की जाँच की जाती है।
- (iii) चुनाव द्वारा भरे जाने वाली तीन रिक्तियों के लिए यदि केवल तीन नामांकन हैं तो ऐसे वैध रूप से नामित उम्मीदवार को उसी समय चयनित माना जाएगा और इस प्रकार चयनित के रूप में उनके नाम और डाक पते प्रकाशित किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में असाधारण आम बैठक को रद्द माना जाएगा। तथापि, चयनित अभ्यर्थी 14 मार्च 2015 को ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (iv) यदि वैध नामांकन चयनित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हो, तो उनके नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और सबसे अधिक वोट पाने वाले को चयनित माना जाएगा। उनके नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे तथा बैंक की वेबसाइट पर भी रखे जाएंगे। वे 14 मार्च 2015 को कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (v) विवाद के मामले में, विनियमों के विनियम 67 के अनुसार निपटान किया जाएगा।

शुक्रवार, मार्च 12, 2015 को चुनाव प्रक्रिया

निदेशकों के चुनाव हेतु वोटिंग **हाथ-उठाने के आधार पर नहीं**, बल्कि गुप्त-मत द्वारा चुनाव से होगी।

बैलट पेपर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा इस संबंध में घोषणा के तुरंत बाद दोपहर 1.00 बजे तक जारी होंगे। बैलट पेपर इस उद्देश्य हेतु स्थापित काउंटर पर जारी होंगे। ये पंजीकरण के समय जारी बैलट-पेपर सौंपने पर अधिकृत प्रतिनिधि/प्राक्सी-धारक/शेयरधारक को दिए जाएंगे। वोटों की संख्या कट-ऑफ तिथि याने, शुक्रवार, जनवरी 30, 2015 को उनके पास शेयरों की संख्या के बराबर होगी।

शेयरधारक बैलट-पेपर में अपनी इच्छा के 3 उम्मीदवारों के नामों के आगे एक रबड मोहर (X) लगाकर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं तथा उन्हें बैलट -बॉक्स में जमा कर सकते हैं।

चुनाव की पूर्ण प्रक्रिया बैंक द्वारा नियुक्त रिटर्निंग आफिसर, बैंक द्वारा कथित उद्देश्य हेतु नियुक्त एक स्वतंत्र सलाहकार द्वारा संपन्न की जाएगी तथा केंद्रीय सरकार का नामिती/प्रतिनिधि इस प्रक्रिया की देख-रेख करेगा, जो एक प्रेक्षक के रूप में कार्य करेगा।

बैंक वेबसाइट तथा डिपोजिटोरी वेबसाइट अर्थात् सीडीएसएल में ईजीएम के आयोजन के दो दिन के अंदर ई-वोटिंग के एकीकृत परिणाम तथा चुनाव पोस्ट किए जाएंगे ।

नामांकन वापस लेना

उम्मीदवार अपना नाम नामांकनों की जांच प्रारम्भ होने से पूर्व याने 20 फरवरी, 2015 तक अथवा मार्च 12, 2015 को निर्धारित चुनाव-तिथि से 2 दिन पूर्व डाक अथवा फैक्स द्वारा एक हस्ताक्षरित पत्र भेजकर, वापस ले सकते हैं ।

निदेशकों की रुचि

अपनी शेयरहोल्डिंग तथा वर्तमान शेयरधारक निदेशकों, जो निर्वाचन में लड़ रहे हैं, को छोड़ कर ऊपर उल्लिखित व्यवसाय मद्दों के प्रति बैंक के किसी निदेशक को रुचि नहीं है ।

**निदेशक मंडल के आदेश से
कृते आन्धा बैंक**

**(वाई. अमरनाथ)
उप महाप्रबंधक एवं
कंपनी सचिव**

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 30.01.2015



Shareholders & Investor Greivances cell, Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004, Telangana.

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of the Andhra Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003 that an EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of the SHAREHOLDERS of ANDHRA BANK will be held on Thursday, **12th March, 2015** at 11.30 AM at Sri Sathya Sai Nigamagamam, 8-3-987/2, Sri Nagar Colony, Hyderabad - 500 073, to transact the following business:

To elect **THREE** Directors from amongst shareholders of the Bank other than Central Government, in respect of whom valid nominations as prescribed have been received, in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as the "the Regulation Act"), The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Andhra Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003 (hereinafter referred to as the "Regulations") and Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as 'RBI Notification') to fill the vacancies in the office of the elected Directors, whose terms of office expires on 13th March, 2015 and to pass the following resolution:

"RESOLVED THAT three Directors elected from amongst shareholders, other than the Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with relevant Scheme, Regulations and Notification made thereunder and RBI notification, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from 14th March, 2015 being the date subsequent to the date when the present Shareholder Directors retire and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of their assumption of office as Directors."

By order of the Board of Directors
for ANDHRA BANK

(Y.Amarnath)
Dy.General Manager &
Company Secretary

Place: Hyderabad
Date:30.01.2015

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut off (Record) date, i.e. Friday, 30th January, 2015**, shall have one vote for each share held by him/her in e-voting / voting through poll.

Exercise of rights of joint holders:

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then **first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.**

3. **CUT OFF (RECORD) DATE for the purpose of ascertainment of shareholders entitled to participate in the election and vote / e-vote to elect 3 Directors**

Pursuant to Regulation 12 of the Regulations, **Friday, 30th January, 2015 is the Cut Off (Record) date** for the purpose of ascertaining the names of shareholders entitled to participate in the election i.e. to nominate, contest and vote / e-vote in the election of Three Directors representing the shareholders of the Bank from amongst shareholders other than the Central Government as mentioned in the notice.

4. **APPOINTMENT OF PROXY**

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Andhra Bank.

As per Regulation 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy form, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bank addressed to the Deputy General Manager & Company Secretary, Shareholders & Investor Grievances Cell, Head Office, Dr. Patabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500004, Telangana, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting. i.e., on or before the closing hours of the Bank, i.e., 2.00 p.m. of Saturday, **7th March, 2015**.

5. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Deputy General Manager & Company Secretary, Shareholders & Investor Grievances Cell, Head Office, Dr. Patabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad -500004, Telangana, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting. i.e., on or before the closing hours of the Bank, i.e.2.00 p.m, of Saturday, **7th March, 2015**.

No person shall be appointed as an authorized representative who is an officer or an employee of Andhra Bank.

6. **ATTENDANCE SLIP -CUM- ENTRY PASS- CUM - BALLOT PAPER PASS** For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum- Ballot Paper Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue and thereafter Entry slip-cum-Ballot paper pass shall be issued to them. Proxy/ Authorised Representative of the shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry-cum-Ballot Paper Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

7. **POLL PROCESS**

The voting for election of directors will not be on the basis of show of hands but shall be done by e-voting / poll by means of a secret ballot.

8. **VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS**

In compliance with provisions of Clause 35B of the Listing Agreement with Stock Exchanges, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and in compliance with the SEBI Circular dated 17.04.2014, the Bank is pleased to offer e-voting facility as an alternative mode of voting, besides physical ballot, for its Members at the Extraordinary General Meeting which will enable them to cast their votes electronically and to pass the RESOLUTION.

For this purpose, the Bank has appointed M/s. Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as e-voting agency to provide the e-voting platform for facilitating its Members to vote electronically. The Bank has also appointed M/s.T.R.Ramabhadran, Practising Company Secretary, Hyderabad, as the Scrutiniser for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

The e-voting is **OPTIONAL**.

The instructions for members for voting electronically are as under:-

- (i) The voting period begins on **06.03.2015 from 10.00 A.M. and ends on 08.03.2015 till 5.00 P.M.**. During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on **the cut-off date (record date) of 30.01.2015**, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

- (ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iii) Click on Shareholders.
- (iv) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- (vii) If you are a first time user follow the steps given below:

For Members holding shares in Demat Form and Physical Form	
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) <ul style="list-style-type: none"> • Members who have not updated their PAN with the Bank/RTA /Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
DOB	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the Bank's / RTA's records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the Bank's / RTA's records for the said demat account or folio. <ul style="list-style-type: none"> • Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are not recorded with the depository or Bank / RTA, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

- (viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN for the relevant <Company Name> on which you choose to vote.
- (xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

- (xv) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- (xvii) If Demat account holder has forgotten the same password then enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) **Note for Non – Individual Shareholders (Institutional Investors) and Custodians**
 - Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com; and register themselves as Corporates.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com;
 - After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com; and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, in PDF format, should be sent to the Scrutinizer through e-mail : ravimanju26@gmail.com; to verify the same.

General Information:

- (A) **The voting period begins from 10 A.M. on Friday, March 6, 2015 and ends at 05.00 P.M. on Sunday, March 8, 2015.** During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) January 30th, 2015, may cast their vote electronically. The e-voting module will be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
 - (B) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com; under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com;
 - (C) You are advised to cast your vote through E-voting or through Poll at the EGM. In case you cast your votes through both the modes, votes cast through e-voting shall only be considered and votes cast at the meeting through Poll would be rejected.
9. The issue of Ballot Paper will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman and Managing Director. The portion of the Ballot paper Pass shall be surrendered at the counters set up for this purpose to obtain Ballot Paper at the time of Poll. Entry Pass has to be retained till the conclusion of the meeting. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on January 30, 2015, subject to overall cap in terms of Section 3(2E) of the Act.
- Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp (X) against the name of the candidate of their choice (maximum upto 3 candidates) in the Ballot Paper and deposit them in the Ballot Box(es).
- The counting of votes would be taken up thereafter.
- The consolidated results of e-voting and Poll will be posted on the website of the Bank and on the website of the Depository, viz., CDSL, and will be informed to the Stock Exchanges, within two days of holding of EGM.

EXPLANATORY STATEMENT

Agenda Item: ELECTION OF THREE SHAREHOLDER DIRECTORS

Shareholders other than Government of India hold 39.8565% of the share capital of the Bank. As per Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Andhra Bank is entitled to have a maximum of three shareholders representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government) as Directors on the Board of the Bank.

The present three Shareholder Directors namely, Shri GR Sundaravadeivel, Shri Kailasam Raghuraman and Prof. Nandlal L. Sarada, shall hold office of Directorship till 13.03.2015 and they will vacate their offices at the end of office hours on

13.03.2015. As per the aforesaid Act, three Directors are required to be elected by the shareholders other than the Central Government to fill up the aforesaid vacancies.

Accordingly, the Notice for the EGM is being sent to pass necessary resolution for election of three Directors representing the shareholders of the Bank.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in the various and relevant Act / Scheme / Regulations / Notification, the relevant portions of which are indicated hereunder.

Three Directors will be elected either on scrutiny of the nominations (if the number of valid nominations is equal to the number of vacancies) or in subsequent election scheduled to be convened on March 12, 2015, if there are more contestants. After such election, they will assume office from March 14, 2015 and will hold office for a period of three years therefrom.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Scheme/ Regulations/ Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 16 (1) Section 20 Section 5 (ne)	❖ Prohibition of Common Director ❖ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors ❖ Substantial interest
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	❖ Restriction on voting rights ❖ No. of directors to be elected by the shareholders ❖ Special knowledge in certain fields ❖ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ❖ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ❖ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	❖ Term of office of elected directors ❖ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ❖ Vacation of office of Director ❖ Removal from office of an elected Director ❖ Filling of vacancies in the office of elected directors ❖ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003	Regulation 10 Regulation 61A Regulation 61B Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65	❖ Exercise of rights of joint holders ❖ Scrutineers at Poll ❖ Manner of taking Poll and result thereof ❖ Directors to be elected at General Meetings ❖ List of Shareholders ❖ Nomination of candidates for election

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
	Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	❖ Scrutiny of nominations ❖ Election disputes ❖ Determination of voting rights ❖ Voting by duly authorized representative ❖ Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/ 2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/ 2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9 (3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks
Office Memorandum ref.no. F.No.16/83/2013-BOI dated 03.09.2013 issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, as an advice through its Government Nominee Director in the Board of the Bank.		To elect the Shareholder Directors to discharge their duties as Directors on the Board of the Bank with greatest transparency and in public interest. In this direction the letter dated 01.06.2011 regarding appointment of Part-Time Non-Official Directors also kept in mind while carrying out determination of 'Fit and Proper' status of the Candidates.

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS/SCHEME/REGULATIONS/NOTIFICATIONS ETC.

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as 'the Act'), the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as 'the Scheme') and the Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (hereinafter referred to as 'the Regulations') as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and Office Memorandum ref.no. F.No.16/83/2013-BOI dated 03.09.2013 posted on the Bank's website www.andhrabank.in. The same are also reproduced at the end of this Notice. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Deputy General Manager & Company Secretary, Shareholders & Investor Grievances Cell, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500004, Telangana, on or before the **last date fixed for submission of nomination forms viz.19th February,2015.**

QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- (I) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank shall
- (A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following namely: -
- i. agriculture and rural economy
 - ii. Banking
 - iii. co-operation
 - iv. economics
 - v. finance
 - vi. law
 - vii. small scale industry
 - viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.
- (B) represents the interest of depositors; or
- (C) represents the interest of farmers, workers and artisans.
- (II) In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status pursuant to Reserve Bank of India's directives/notifications from time to time in this regard.

- (III) Further, the elected director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- A. In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
- (a) if he has at any time being adjudicated as insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - (b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - (c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
 - (d) if he holds any office of profit under any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a Whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

And

- B. In terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD No. BC. No. 46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD. BC. No. 95 / 29.39.001 /2010-11 dated 23.05.2011 read with Office Memorandum ref. no. F.No.16/83/2013-BOI dated 03.09.2013 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, he is not found to be 'fit and proper' person, by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS

To enable the Shareholders to contest the election, a complete List of Shareholders as indicated in Regulation 64 of the Regulations, as of the Cut-off (Record) Date i.e., Friday, January 30, 2015, will be available at Head Office of the Bank at Shareholders & Investor Grievances Cell, Head Office, Dr. Patabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500 004, Telangana, from Saturday, February 7, 2015, till Thursday, February 19, 2015 (last date for receipt of nominations) for purchase by shareholders on a pre-payment of Rs.50000/- (Rupees Fifty Thousand) by way of demand draft/pay order of a Scheduled Bank, in favour of 'Andhra Bank' payable at Hyderabad.

INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders / Register of Members is also open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays & Bank holidays) i.e., Monday to Friday between 3.00 p.m. to 5.00 p.m. and on Saturday between 11.00 a.m. to 1.00 p.m. If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or fractional part thereof, required to be copied.

PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders, whose names appear on the Register of Shareholders / Register of Members as furnished by NSDL/ CDSL / RTA as on Friday, January 30, 2015, shall be entitled to participate i.e., Nominate, Contest and Vote in the election of Directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

As per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder as on Friday, January 30, 2015, the Cut-off (Record) Date, prior to the date of a General meeting, shall have one vote for each share held by him / her for exercising through e-voting / Poll.

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India, DBOD No. BC. No. 46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- (a) He/she is a shareholder holding not less than 100 (One Hundred) shares in the Bank as on **Friday, January 30, 2015** being the Cut-off (Record) date for participating in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till Thursday, March 12, 2015, and thereafter till the end of his tenure, if he is elected.
- (b) as on Thursday, **February 19, 2015** (the last date for receipt of nominations) he / she is not disqualified to be a Director under the Act/ Regulation Act/Scheme/Regulation/RBI Notifications;
- (c) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of the Bank

addressed to the Deputy General Manager & Company Secretary, Shareholders & Investor Grievances Cell, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500004, Telangana, and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;

- (d) the nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a Declaration by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a Director, either under the Banking Regulation Act or the Act or the Scheme or the Regulations.
- (e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed (The proforma is also available on the Bank's website www.andhrabank.in).

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank and being qualified as per the conditions mentioned above may please submit:

- a) Duly filled in Declaration Form;
- b) Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz. Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc.

in the formats annexed to the Notice, in a sealed envelope to the Deputy General Manager & Company Secretary, Shareholders & Investor Grievances Cell, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500004, Telangana, together with connected documents, complete in all respects, on a working day i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e., 5.00 p.m.. on Thursday, **February 19, 2015** failing which, the nominations are liable to be rejected.

SCRUTINY OF NOMINATIONS.

- (i) Nominations shall be scrutinised by the Bank on Friday, **February 20, 2015**, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason(s) thereof.
- (ii) Nominations shall also be subjected to scrutiny to determine their 'Fit & Proper Status' by the Nomination Committee of the Board in terms of Reserve Bank of India Notifications.
- (iii) If there are only three or less than three valid nominations for the three vacancies to be filled-in by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event, the Extraordinary General Meeting will stand cancelled. However, the elected candidates shall assume office only on 14th March, 2015
- (iv) If valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the names of the candidates shall be published in the newspapers and candidates polling the majority of the votes will be deemed to have been elected and their names will be published in the newspapers and also will be placed on the website of the Bank. They will assume office on 14th March, 2015.
- (v) If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

POLL PROCESS on Thursday, March 12, 2015

The Voting for election of Directors **will not be on the basis of show of hands** but shall be done by Poll by means of a secret Ballot.

The issue of Ballot Paper will commence immediately after an announcement is made by the Chairman & Managing Director in this regard and continue upto 1.00 p.m. Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders/ Proxy holders/ authorized representatives on surrender of Ballot Paper Pass which was issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the cut-off date, i.e. Friday January 30th, 2015.

Shareholders may exercise their right to vote by affixing a rubber stamp (X) against the names of three candidates of their choice in the Ballot Paper and deposit them in the Ballot Box(es).

The entire process of Election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant (Scrutiniser) appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee /Representative who will act as an Observer.

The consolidated results of e-voting and poll will be posted on the Bank's website and on the website of the Depository, viz., CDSL within 2 days of holding the EGM.

WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

The candidate may withdraw his / her candidature by sending a signed letter by post or fax on or before the scrutiny of nominations commences, i.e. February 20, 2015, or 2 days before the date of election scheduled to be held on March 12, 2015.

INTEREST OF DIRECTORS

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned item of business except to the extent of their shareholding and those eligible existing Shareholder Directors who may contest the election.

Share holders are requested to bring their copy of notice to the meeting.

**By order of the Board of Directors
for ANDHRA BANK**

**(Y. Amarnath)
Dy. General Manager &
Company Secretary**

Place: Hyderabad

Date:30.01.2015

घोषणा

(उम्मीदवार द्वारा)

(विनियमों के विनियम 65 का संदर्भ लें)

मैं.....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी/श्री/श्रीमती का निवासी एतद्वारा पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि

- क. मैं शुक्रवार जनवरी 30, 2015 याने चुनाव में भाग लेने हेतु कट-ऑफ (रिकार्ड) तिथि को बैंक के 10/- रु प्रत्येक के ईक्विटी शेयर रखने वाला शेयरधारक हूँ तथा चुने जाने पर अपनी अवधि की समाप्ति तक 100 ईक्विटी शेयर रखूंगा तथा
- ख. मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग या (विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक ज्ञान जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा) में विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव है और मैं सम्बन्धित अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3(क) के अनुसार जमाकर्ताओं अथवा कृषकों, कर्मचारियों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ/करती हूँ और उसके साक्ष्य के रूप में इसके साथ सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता हूँ/करती हूँ ।
- ग. मैं संख्या में नामांकन स्वीकार करता हूँ और
- घ. मैं आन्धा बैंक के निदेशक के निर्वाचन के लिए खड़ा होने का इच्छुक हूँ और
- ङ. मुझे अधिनियम के प्रावधानों, योजना, विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अन्तर्गत बैंक का निदेशक बनने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है ।
- च. मैं राष्ट्रीयकृत बैंक में या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक में या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में परिभाषित के अनुसार किसी अनुषंगी बैंक में न तो लाभ का कोई पदधारी हूँ और न ही कर्मचारी हूँ ।
- छ. मैं अपने व्यक्तिगत विवरण पीडीयू फार्म में संलग्न करता हूँ याने व्यक्तिगत सूचना, घोषणा तथा वचन, जो मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं ।
मैं इस घोषणा के बाद किसी भी परवर्ती घटनाओं के लिए यथाशीघ्र बैंक को सूचित करने का वचन देता हूँ जो निम्न प्रस्तुत जानकारी से सम्बद्ध है और बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने पर प्रतिज्ञा-पत्र का विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूँ ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि अमूर्त न हो)	
डीपी आईडी सं एवं ग्राहक आईडी सं. (यदि अमूर्त हो)	
स्थान	
दिनांक	

जज, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या आश्वासन उप रजिस्ट्रार अथवा अन्य किसी राजपत्रित अधिकारी या भा रि बैं (या आन्धा बैंक या कोई राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी की मोहर सहित हस्ताक्षर)

उक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए तिथि सहित हस्ताक्षर एवं सील
नाम
दिनांक

* जो लागू हो, उस पर सही का निशान लगाएं ।

DECLARATION

(BY THE CANDIDATE)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, Shri/Smt _____ son / daughter / wife of
Shri / Smt. _____, a resident of _____ hereby confirm that:

- a. I am a shareholder holding _____ equity shares of Rs.10/- each of the Bank as on **Friday, January 30, 2015** i.e., the Cut-Off (Record) date for participating in the elections and will hold a minimum of 100 equity shares till the completion of election or till the end of my tenure, if elected; and
- b. I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or _____ (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors, or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials; and
- c. I accept the nominations numbering _____; and
- d. I am willing to contest for the election of Directors of Andhra Bank; and
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Act, Scheme, Regulations and RBI Notification; and
- f. I neither hold any office of profit nor an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959; and
- g. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete, vide enclosed PDU Form, i.e. Personal Information, Declaration and Undertaking; and
- h. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

Name	
Signature	
No of Shares	
Regd. Folio No(If not dematerialised)	
DP ID No. & Client ID No(if dematerialised)	
Place	
Date	

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or
Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or
an officer of the Reserve Bank of India or _____
(Andhra Bank or any nationalised bank.)

The above declaration was signed before me.

Signature with Seal

Name

Date

* Tick whichever is applicable

नामांकन फार्म

(शेयरधारक द्वारा)

[विनियमों के विनियम 65 (डी) का संदर्भ लें]

सेवा में

आन्धा बैंक

शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष

प्रधान कार्यालय, डा पट्टाभि भवन,

5-9-11, सैफाबाद,

हैदराबाद-500004 (तेलंगाना)

महोदय,

निदेशक के निर्वाचन हेतु नामांकन

आपके दिनांक 30.01.2015 के नोटिस के संदर्भ में

में, जो शुक्रवार, 30 जनवरी, 2015 (चुनाव में भाग लेने हेतु कट-ऑफ (रिकार्ड) तिथि मानी गई है) को 10/- रु प्रत्येक के ईक्विटी शेयरधारक हूँ, गुरुवार, मार्च 12, 2015 को हैदराबाद में आयोजित की जाने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (1) के उपबन्धों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले आन्धा बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु के निवासी श्री/श्रीमती सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नीको नामित करता हूँ/करती हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि अमूर्त न हो)	
डीपी आईडी सं एवं ग्राहक आईडी सं. (यदि अमूर्त हो)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणीयां:

- 1) यदि नामांकन किसी कंपनी निकाय द्वारा किया जाता है तो नामांकन फार्म के साथ उस बैठक के अध्यक्ष जिस बैठक में ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है, द्वारा हस्ताक्षरित निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की सत्यापित प्रति संलग्न होनी चाहिए।
- 2) प्रत्याशी का नामांकन करने वाले शेयरधारक के हस्ताक्षर रजिस्ट्रार तथा बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मिलने चाहिए।

NOMINATION FORM

(By the Shareholder)

[Refer Regulation 65(i)(d) of the Regulations]

To
Andhra Bank,
Shareholders & Investor Grievances Cell
Head Office Dr. Pattabhi Bhavan
5-9-11, Saifabad
Hyderabad-500004, Telangana.

Sirs,

Nomination for election of a Director

With reference to your Notice dated 30.01.2015, I Shri/Smt _____ a shareholder of Andhra Bank holding _____ equity shares of Rs.10/- each as on **Friday, January 30, 2015** (being the Cut-off (Record) date considered for participating in the election), do hereby nominate Shri/Smt _____ son / daughter / wife of _____ residing at _____ for being elected as a Director of Andhra Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on **Thursday, March 12, 2015** at Hyderabad.

Name	
Signature	
No. of Shares	
Regd. Folio No(If not dematerialised)	
DP ID No. & Client ID No(if dematerialised)	
Place	
Date	

Notes:

- 1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signatures available with the Registrar & Share Transfer Agents of the Bank.
- 3) If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect the nominative is liable to be rejected.

व्यक्तिगत सूचना, घोषणा पत्र एवं वचन पत्र

बैंक का नाम: **आन्ध्रा बैंक**

यहाँ पासपोर्ट
आकार का फोटो
लगाएं

_____ 2015 को उचित संलग्नकों सहित अभ्यर्थी द्वारा घोषणापत्र एवं वचनपत्र		
I		अभ्यर्थी के व्यक्तिगत विवरण
	ए	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) पिता का नाम (पूरा नाम)
	बी	जन्म-तिथि
	सी	राष्ट्रीयता
	डी	शैक्षिक योग्यताएं
		(कृपया सूचना के समर्थन में प्रमाण-पत्रों की स्वसत्यापित प्रतियां संलग्न करें)
		(शैक्षिक / व्यावसायिक) (कृपया सूचना के समर्थन में प्रमाण-पत्रों की स्वसत्यापित प्रतियां संलग्न करें).
	ई	संबंधित पृष्ठभूमि और अनुभव बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9(3ए) के अंतर्गत यथा अपेक्षित (कृपया बैंक के निदेशक होने के संबंध में अपने अनुभव सूचित करें)
	एफ	स्थायी पता
	जी	वर्तमान पता
	एच	ई-मेल पता दूरभाष नंबर (लैंडलाइन) दूरभाष नंबर (मोबाईल)
	आई	(1) आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता नंबर (कृपया प्रति संलग्न करें) आयकर मंडल / डिविजन जहाँ व्यक्तिगत कर विवरणियां दायर की जा रही हैं।
	जे	संबंधित ज्ञान और अनुभव (बैंककारी कंपनी (अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9(3-ए) का संदर्भ लें)
	के	बैंक के निदेशक होने से संबंधित कोई अन्य सूचना

II		अभ्यर्थी के प्रासंगिक संबंध	
	ए	बैंक से जुड़े रिश्तेदारों की सूची, यदि हो (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) का संदर्भ लें)	
	बी	संस्थाओं की सूची, यदि हो, जिनमें उनका हित माना जाता हो (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें)	
	सी	संस्थाओं की सूची, जिनमें प्रस्तावित एवं विद्यमान बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5(ई) के अंतर्गत उनका पर्याप्त हित है	
	डी	बैंक का नाम जिसमें वे बोर्ड के सदस्य हैं या रह चुके हैं (कार्यावधि के विवरण देते हुए)	
	ई	उनके द्वारा या 11(बी) एवं (सी) में सूचित संस्थाओं द्वारा बैंक से ली गई निधि एवं गैर-निधि सुविधाएं, यदि कोई हों।	
	एफ	बैंक या किसी अन्य बैंक से अभ्यर्थी या 11(बी) एवं (सी) में सूचित संस्थाओं द्वारा ली गई ऋण सुविधाओं में चूक के मामले, यदि हो	
III		व्यावसायिक उपलब्धियों के रिकार्ड	
	ए	व्यावसायिक उपलब्धियां (बैंक के निदेशक हेतु प्रभावित कर सकने वाली उपलब्धियों का विवरण दें)	
IV		अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई, यदि हो	
	क	यदि अभ्यर्थी किसी व्यावसायिक संघ / निकाय का सदस्य है, उनके विरुद्ध लंबित या चल रही या अतीत में दोषसिद्धि की अनुशासनिक कार्रवाई, यदि हो, का विवरण और क्या उन्हें किसी समय किसी भी व्यवसाय में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया है।	
	ख	अभ्यर्थी और/या 11(बी) एवं (सी) में सूचित संस्थाओं के विरुद्ध आर्थिक विधि और विनियमों के उल्लंघन के लंबित या चल रही या अतीत में दोषसिद्धि के अभियोजन, यदि हो, के विवरण	
	ग	अभ्यर्थी के विरुद्ध लंबित या चल रही या अतीत में दोषसिद्धि के आपराधिक अभियोजन, यदि हो, के विवरण	

डी	क्या उम्मीदवार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध तथा विविध उपबंध) योजना, 1980 के खंड 10 के अंतर्गत किसी अनर्हता का पात्र है ?	
ई	क्या अभ्यर्थी या II(बी) एवं (सी) में सूचित संस्थाओं के विरुद्ध सरकारी विभाग या एजेंसी द्वारा कोई जांच हुई है ?	
एफ	क्या अभ्यर्थी को किसी भी समय सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर/ विदेशी विनिमय / अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियम/विनियम/ विधान की अपेक्षाओं के उल्लंघन हेतु दोषी पाया गया है, यदि हाँ तो विवरण दें।	
जी	क्या अभ्यर्थी अनुचित कारणों से किसी विनियामक यथा सेबी, इरडा, डीसीए, भारिबैं, फेमा, एमसीए, सिबिल आदि के ध्यान में आए हैं। (हालांकि अभ्यर्थी को कॉलम में विनियामकों के ऐसे आदेश और निष्कर्ष का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें पूर्णतः प्रत्यावर्तित / रद्द किया गया है, यह आवश्यक होगा कि इनका उल्लेख करें, यदि प्रत्यावर्तन / रद्दकरण गुणों के आधार पर न होकर तकनीकी कारणों से यथा क्षेत्राधिकार के सीमित होने या इसके अभाव में, आदि से हुआ है । यदि विनियामक का आदेश अस्थायी तौर पर आस्थगित किया गया है और अपील / न्यायालय कार्रवाई लंबित है तो इसका भी उल्लेख किया जाए।	
V	सही एवं उचित माने जाने हेतु मद I से III के संबंध में कोई अन्य प्रासंगिक स्पष्टीकरण / सूचना	
VI	क्या अभ्यर्थी ने अपनी वैयक्तिक क्षमता के अंतर्गत बैंक के साथ कोई व्यापार किया ? यदि हाँ, तो विवरण दें ।	
VII	क्या अपने कर्तव्यों के पालन में अभ्यर्थी / निदेशक किसी व्यक्ति या संस्था या बैंक या कंपनियों आदि के निर्देशों/अनुदेशों का पालन करेगा ? यदि हाँ, तो विवरण दें ।	

वचन पत्र

में _____ सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी श्री _____ यह पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी उत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं अपनी नियुक्ति के बाद ऊपर दी गई सूचना से प्रासंगिक सभी घटनाओं के संबंध में बैंक को यथाशीघ्र पूर्णतः सूचित करने का वचन देता/देती हूँ।

मैं प्रसंविदा प्रलेख निष्पादित करने का भी वचन देता/देती हूँ जिसे बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किया जाना अपेक्षित है।

स्थान:

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

संलग्नक :

नोट :

1. जहाँ कहीं स्थान पर्याप्त न हो, कृपया उचित प्रति-संदर्भ सहित वर्णक्रम में अनुबंध के रूप में सूचना संलग्न करें।
2. प्रत्येक पृष्ठ (अनुबंध सहित) पर अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है।

नामांकन समिति के प्रेक्षण / अभ्युक्ति :

समिति सदस्य	समिति सदस्य	समिति सदस्य	समिति सदस्य

स्थान :

दिनांक :

PERSONAL INFORMATION, DECLARATION & UNDERTAKING

Name of the Bank : Andhra Bank



Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on _____ 2015

I		Personal details of the Candidate	
	a	Full Name (in capital letters) Father's Name (in Full)	
	b	Date of Birth	
	c	Nationality	
	d	Educational Qualifications (Educational/ academic) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
		(Educational/ professional) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
	e	Relevant Background and Experience (As required under Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980. (Please indicate your experience relevant to the Directorship of the Bank).	
	f	Permanent Address	
	g	Present Address	
	h	E-mail Address Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)	
	i	(1) Permanent Account Number under the Income Tax Act (Please enclose a copy) (2) Name and Address of the Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.	
	j	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980	
	k	Any other information relevant to Directorship of the Bank	

II		Relevant Relationships of Candidate	
	a	Details of Relatives, if any who are connected with the Bank (Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013)	
	b	List of entities, if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 184 of the Companies Act, 2013)	
	c	List of entities in which he/she or his/her relatives is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
	d	Name of the Bank in which he/she is or has been a Member of the Board (giving details of period during which such office was held)	
	e	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the Bank	
	f	Cases, if any, where the Candidate or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	
III		Records of professional achievements	
	a	Professional achievements (Please furnish the details of the achievements which may have a bearing on the directorship of the Bank)	
IV		Proceedings, if any, against the Candidate	
	a	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of, at any profession/occupation at any time.	
	b	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations	
	c	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate	

d	Whether the Candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013 read with Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous provisions) Scheme, 1980?	
e	Has the Candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government Department or Agency?	
f	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/ legislative requirements by customs/ excise / income tax/foreign exchange /other revenue authorities, if so give particulars	
g	Whether the Candidate at any time come to the adverse notice of a Regulator such as SEBI, IRDA, RBI, FEMA, MCA, CIBIL etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by Regulators which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of regulator is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging 'Fit and Proper'.	
VI	Has the candidate in his / her individual capacity undertaken any business with the Bank? If so, give particulars	
VII	In carrying out his / her duties, will the candidate / director be acting on the directions or instructions of any individual or institution or bank or companies etc ? If so, give particulars.	

UNDERTAKING

I _____ Son/ Daughter / Wife of Shri _____ confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the bank.

Place :

Date :

Signature of Candidate

Enclosures:

Note :

1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.
2. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Observations / Remarks of the Nomination Committee:

Committee Member	Committee Member	Committee Member	Committee Member

Place :

Date :



आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004.

उपस्थिति स्लिप-सह-प्रवेश पास – सह- बैलट पेपर पास

असाधारण आम बैठक

दिनांक : 12 मार्च, 2015 को 11.30 बजे

स्थान : श्री सत्य साई निगमागमम्, 8-3-987/2, श्री नगर कॉलोनी, हैदराबाद- 500 073, तेलंगाना

उपस्थिति पर्ची

(बैठक स्थल में प्रवेश करते समय सुपुर्द करनी है)

नाम (बड़े अक्षरों में) (शेयरधारक / प्रॉक्सी / अधीकृत प्रतिनिधि)		
शेयरों की संख्या		
पंजीकृत फोलियो (यदि अमूर्त नहीं हो)		डी पी आई डी एवं ग्राहक आई डी (यदि अमूर्त हो)
शेयरधारक / प्राक्सी / उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		



आन्ध्रा बैंक

प्रवेश पास

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004, तेलंगाना

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

असाधारण आम बैठक : गुरुवार, 12 मार्च, 2015, 11.30 बजे

नाम (बड़े अक्षरों में) (शेयरधारक / प्रॉक्सी / अधीकृत प्रतिनिधि)		
शेयरों की संख्या		
पंजीकृत फोलियो (यदि अमूर्त नहीं हो)		डी पी आई डी एवं ग्राहक आई डी (यदि अमूर्त हो)
शेयरधारक / प्राक्सी / उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

शेयरधारकों/ शेयरधारक के प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि बैठक स्थल में प्रवेश हेतु उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची को, बैंक के पास पंजीकृत अपने नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर करके, प्रवेश पास सहित प्रस्तुत करें। तथापि प्रवेश, यथा आवश्यक माने गए सत्यापन/जांच की शर्त पर है। प्रवेश पास-बैलट पेपर पास भाग शेयरधारक/ प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि को वापिस सौंप दिया जाएगा, जिसे बैठक की समाप्ति तक अपने पास रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, बैठक में प्रवेश हेतु कोई इंप्लिकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।



आन्ध्रा बैंक

बैलट पेपर पास

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004, तेलंगाना

(मतदान काउंटर पर बैलट पेपर प्राप्त करने हेतु सौंपें)

असाधारण आम बैठक : गुरुवार, 12 मार्च, 2015, 11.30 बजे

नाम (बड़े अक्षरों में) (शेयरधारक / प्रॉक्सी / अधीकृत प्रतिनिधि)		
शेयरों की संख्या		
पंजीकृत फोलियो (यदि अमूर्त नहीं हो)		डी पी आई डी एवं ग्राहक आई डी (यदि अमूर्त हो)
शेयरधारक / प्राक्सी / उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		



Andhra Bank

Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500004, Telangana.

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Date: Thursday, 12th March, 2015 at 11.30 A.M.

Place : Sri Sathya Sai Nigamagmam, 8-3-987/2, Sri Nagar Colony, Hyderabad - 500 073.

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/Authorised Representative)			
Number of Shares			
Regd. Folio No. (If not dematerialised)		DP ID & Client ID (If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			



ANDHRA BANK

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11,
Saifabad, Hyderabad-500004, Telangana.

(to be retained throughout the meeting)

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Date: Thursday, 12th March, 2015 at 11.30 A.M.

ENTRY PASS

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/ Authorised Representative)			
No. of Shares			
Regd. Folio (If not dematerialized)		DP ID & Client ID (If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. The entry pass – Ballot Paper Pass portion will be returned to the shareholders/Proxy/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The Ballot Paper Pass portion shall be surrendered to obtain Ballot Paper. Under no circumstances, any duplicate attendance slip- cum Entry pass-cum-Ballot Paper Pass will be issued at the entrance to the meeting.



ANDHRA BANK

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11,
Saifabad, Hyderabad-500004, Telangana.

(to be surrendered at the Polling counters to get Ballot Paper)

EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Date: Thursday, 12th March, 2015 at 11.30 A.M.

BALLOT PAPER PASS

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/ Authorised Representative)			
No. of Shares			
Regd. Folio (If not dematerialized)		DP ID & Client ID (If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			



आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय: डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004, तेलंगाना

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाना है)

पंजीकृत फोलियों नं	
(यदि अमूर्त न हो)	
डीपीआईडी एवं ग्राहक आईडी	
(यदि अमूर्त हो)	

मैं/हम _____
 निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ आन्ध्रा बैंक के
 शेयरधारक होने के नाते एतत्-द्वारा श्री/श्रीमती _____
 निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ या इनके न आने पर श्री
 / श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____
 राज्य _____ को आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की गुरुवार, 12 मार्च, 2015 को प्रातः 11.30 बजे **श्री सत्य
 साई निगमागमम्, 8-3-987/2, श्री नगर कौलोनी, हैदराबाद- 500 073, तेलंगाना** में होने वाली असाधारण आम बैठक और
 उसके किसी स्थगन में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्राक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

₹ 1/- का
 राजस्व
 स्टॉप

प्रथम नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम : _____

पता : _____

प्राक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं जमा करने के अनुदेश :

1. प्राक्सी का कोई लिखित तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि,
 - ए) वह व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उनके या उनके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो
 - बी) संयुक्त धारकों के मामले में वह पंजी में दर्ज प्रथम नामित शेयरधारक या उनके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो
 - सी) निगम निकाय के मामले में उसके अधिकारी या किसी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो। यह ध्यान दें कि उन्हें विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधि / प्रॉक्सी नियुक्त करने हेतु अधिकार देने वाले संकल्प की एक प्रति संलग्न की जानी है, जो बैठक के अध्यक्ष द्वारा सही प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो।
2. प्राक्सी की लिखत पर किसी ऐसे शेयरधारक के पर्याप्त हस्ताक्षर हों जो किसी कारणवश हस्ताक्षर नहीं कर सकते हों, तो उस पर निशान लगाएं और वह निशान किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ अशुरेंसेस या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या आन्ध्रा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाए।
3. प्राक्सी के साथ
 - क) मुख्तारनामा या अन्य कोई प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा,
 - बी) नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित, मुख्तारनामा या प्राधिकार की प्रति, प्रधान कार्यालय, शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, आन्ध्रा बैंक, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004, (तेलंगाना) में असाधारण आम बैठक प्रारंभ होने के **चार दिन** पहले यानी कि शनिवार, 7 मार्च, 2015 के कार्यसमय की समाप्ति सायं 2.00 बजे, को या इससे पहले जमा की जाए.
4. प्राक्सी का कोई लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् स्टांपित न हो तथा विनियम के फार्म 'बी' में न हो।
5. बैंक में जमा करायी गयी प्राक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी.
6. वैकल्पिक रूप में दो अनुमोदित व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर प्राक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किये जाएंगे.
7. प्राक्सी की लिखत निष्पादित करने वाले शेयरधारक को उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हक नहीं होगा जिस बैठक से ऐसी लिखत संबंधित हो.
8. जो व्यक्ति आन्ध्रा बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है उस व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्राक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.



ANDHRA BANK

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500004, Telangana.

PROXY FORM (Form 'B')

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio No. (if not Dematerialised)	
DP ID No.	
Client ID No. (if Dematerialised)	
No. of shares	

I / We _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the state of _____ being a shareholder / shareholders of Andhra Bank hereby appoint Shri / Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ or failing him, Shri / Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Andhra Bank to be held on **Thursday, 12th March, 2015** at 11.30 A.M. at Sri Sathya Sai Nigamagaram, 8-3-987/2, Sri Nagar Colony, Hyderabad - 500 073, and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2015

Revenue Stamp Re. 1/-

Signature of Proxy

Signature of first named / sole shareholder

Name : _____
Address : _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing;
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing;
 - in the case of a body corporate, signed by the duly authorised representative or an attorney duly authorised in writing, it is to be noted that a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative/ power to appoint a proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Andhra Bank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Andhra Bank, Shareholders & Investor Grievances Cell, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500004, Telangana, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 2.00 p.m. on **Saturday, 7th March, 2015**.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped and in Form "B" of the Regulations.
- An instrument of proxy deposited with the Bank **shall be irrevocable and final**.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Andhra Bank.

निदेशकों का निर्वाचन - अधिनियमों, योजना तथा विनियमों इत्यादि के उद्धरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9(3) (i) के अनुसार धारा 3 की उपधारा (2 बी) के खंड (सी) के अंतर्गत जारी पूँजी की मात्रा के आधार पर शेयरधारक निवेशकों की नियुक्ति करनी होगी।

बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 तथा आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003 (एतद्वारा 'विनियम' के रूप में संदर्भित) की संबंधित धाराओं एवं विनियमों को शेयरधारकों के सूचनार्थ नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

सामान्य निदेशकों का निषेध: धारा 16(1)

भारत में कोई भी बैंकिंग कंपनी ऐसे व्यक्ति को निदेशक मंडल में नहीं ले सकती जो किसी अन्य बैंक में निदेशक हो।

ऋण और अग्रिमों पर प्रतिबंध: धारा 20

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 67 में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी बैंकिंग कंपनी क. अपने ही शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करेगी।
ख. निम्नलिखित को या उनकी ओर से न तो किसी प्रकार के ऋण या अग्रिम प्रदान करेगी और न ही वचनबद्धता करेगी।
 - (i) अपने किसी निदेशक
 - (ii) किसी भी फर्म जिसमें उनका निदेशक, साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता के रूप में हित रखता हो, या
 - (iii) कोई ऐसी कंपनी हो जो बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी न हो या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत हो या सरकारी कंपनी हो, (अनुषंगी अथवा धारक कंपनी) जिसमें बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक कर्मचारी, प्रबंधक, गारंटर अथवा निदेशक हो अथवा पर्याप्त हित रखता हो।
 - (iv) ऐसा कोई व्यक्ति जिससे उसका कोई निदेशक, साझेदार या गारंटीकर्ता के रूप में हितबद्ध हो।
2. अगर किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर ऋण या अग्रिम इस प्रकृति का है कि जिस दिन ऋण या अग्रिम प्रदान किया गया था उस तिथि को उपधारा (1) के खंड (बी) के लागू होने की स्थिति में उसे मंजूर करने का वचन नहीं दिया जा सकता था (अथवा वह किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष पूरा होने के पूर्व, वसूली हेतु उपाय किए जाने चाहिए।
बशर्त कि भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संदर्भ में उसके पास किए गए लिखित आवेदन पर किसी मामले में ऋण या अग्रिम की वसूली अवधि को ऐसी तिथि तक बढ़ा सकता है जो उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से तीन वर्ष से अधिक की अवधि की तिथि न हो। यह विस्तार ऐसी शर्तों एवं निबंधों के अधीन होगा जिन्हें रिजर्व बैंक उचित समझे।

यह भी कि यह उप-धारा लागू नहीं होगी यदि संबंधित निदेशक मृत्यु, सेवा-निवृत्ति अथवा अन्यथा बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद रिक्त करें।

3. उपधारा (2) या उसके किसी भी भाग में उल्लिखित कोई भी ऋण या अग्रिम रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना भेजा नहीं जाएगा तथा ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषण अमान्य एवं अप्रभावी होगा।
4. जहां उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी भी व्यक्ति द्वारा देय हो तो उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को चुकौती न किए जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को, उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि को बैंकिंग कंपनी के निदेशक होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि उसने उक्त तिथि को अपना पद रिक्त कर दिया है।

व्याख्या - इस धारा में:

- (क) 'ऋण या अग्रिम' में कोई भी ऐसा लेनदेन शामिल नहीं होगा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक लेनदेन के स्वरूप, लेनदेन के कारण देय होने वाली किसी भी रकम वसूली के संभाव्य समय एवं उसकी विधि तथा परिस्थितियां, जमाकर्ताओं के हितों और अन्य प्रासंगिक प्रतिफलों पर विचार करते हुए इस धारा के प्रयोजन हेतु ऋण या अग्रिम न होने का सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उल्लेख कर सके।
- (ख) 'निदेशक' से तात्पर्य है, प्रबंध करने के उद्देश्य से अथवा प्रबंधन हेतु सभी या उसके किसी कार्य के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से भारत में बैंकिंग कंपनी द्वारा गठित किसी मंडल या समिति का सदस्य।

- 5) अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि कोई लेनदेन ऋण है या अग्रिम है, तो मामला रिजर्व बैंक को प्रेषित किया जाएगा और इस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980

मताधिकार पर प्रतिबंध

3(2ई) : केन्द्रीय सरकार को छोड़कर समनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारित किसी शेयर के संबंध में उक्त समनुरूपी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक हो तो वह मताधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन

9 (3)(i) जहां धारा 3 की उपधारा (2बी) के खंड (सी) के अंतर्गत जारी पूँजी निम्नानुसार हो तो :

- i) कुल प्रदत्त पूँजी के सोलह प्रतिशत से अधिक न हो तो एक निदेशक ।
 - ii) कुल प्रदत्त पूँजी के सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु बत्तीस प्रतिशत से अधिक न हो तो दो निदेशक ।
 - iii) कुल प्रदत्त पूँजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक हो तो तीन निदेशक,
- केन्द्र सरकार को छोड़कर, अन्य शेयरधारकों द्वारा अपने ही में से निर्वाचित होंगे ।
बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत ऐसे किसी निदेशक के चुनाव के पश्चात कार्यभार संभालने पर, खंड (एच) के अंतर्गत नामित बराबर संख्या में निदेशक योजना में विनिर्दिष्ट अनुरूप सेवा-निवृत्त हो जाएंगे ।
बशर्ते कि यदि बैंकिंग कंपनी (अभिग्रहण एवं उपक्रम) एवं वित्तीय संस्था कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने के पूर्व या को, समनुरूपी नए बैंक में निर्वाचित निदेशकों की संख्या उप खंड (i) या उप खंड (ii) या उपखंड (iii) जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट निदेशकों की संख्या अधिक हो तो ऐसे प्रारंभ से पूर्व निर्वाचित ऐसे अधिक संख्यक निदेशक योजना में यथानिर्दिष्ट तरीके से सेवानिवृत्त होंगे एवं ऐसे निदेशक कार्यालय अवधि के समयपूर्व सेवा निवृत्ति के लिए कोई क्षतिपूर्ति दावा करने के पात्र नहीं है।

धारा 9 (3 ए): उक्त खंड (i) के अंतर्गत निर्वाचित अथवा खंड (एच) के अंतर्गत नामित किए जाने वाले निदेशक:

- क) निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो ।
- i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था
 - ii. बैंकिंग
 - iii. सहकारिता
 - iv. अर्थशास्त्र
 - v. वित्त
 - vi. विधि
 - vii. लघु उद्योग
 - viii. ऐसा अन्य कोई विषय जिसका विशेष ज्ञान या जिसमें प्राप्त व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में समनुरूपी नए बैंक के लिए उपयोगी होगा।
- ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व हो ।
- ग) किसानों, कामगारों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व हो।

धारा 9(3 एए) **उपधारा 3(ए)** के उपबंध के पूर्वाग्रह के बिना एवं अधिनियम एवं/या वर्तमान प्रचलित अन्य कानून में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी कोई व्यक्ति उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं है यदि वह ट्रेक रिकार्ड, निष्ठा एवं इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर सूचित ऐसे अन्य मानदंडों के अनुसार "उपयुक्त एवं सही स्टेटस" का न हो।

धारा 9(3 एबी) निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण एवं ऐसे अन्य मामले जो आवश्यक या प्रासंगिक समझा जाए, के लिए भारतीय रिजर्व बैंक उपधारा 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में भी निर्दिष्ट कर सकता है।

धारा 9 (3 बी) : जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक की राय में समनुरूपी नए बैंक की उपधारा (3) के (i) के अंतर्गत निर्वाचित कोई निदेशक उपधारा (3 ए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो तो वह, ऐसे निदेशक को निर्वाचित होने तक ऐसे हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप में सहयोजित करेगा और यह मान लिया जाएगा कि ऐसा सहयोजित व्यक्ति उक्त समनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत निर्वाचित है, जबतक कि अगली ईजीएम में तदनुसूची नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक का विधिवत चुनाव न हो ।

निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व:

13(2): प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति के सदस्य या समनुरूपी नए बैंक के लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपना पदभार ग्रहण करने से पहले तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्म में निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980

9. चुने हुए निदेशक की अवधि :

9(4) निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि ऐसा कोई भी निदेशक लगातार छः वर्ष से अधिक अवधि के लिए पदधारण नहीं करेगा।

10. निदेशक हेतु अयोग्यता

किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने तथा निदेशक बनने में अयोग्य ठहराया जाएगा यदि :

- क) यदि उसे कभी भी दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा उसने भुगतान आस्थगित किया हो अथवा अपने ऋणदाता से समझौता किया हो, अथवा
- ख) यदि उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में पाया गया हो और सक्षम न्यायालय ने उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में घोषित किया हो, अथवा
- ग) यदि उसे फौजदारी न्यायालय ने आपराधिक सजा सुनाई हो अथवा उसने ऐसा अपराध किया हो जिसमें नैतिक भ्रष्टाचार सम्मिलित हो, अथवा
- घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पदधारण करता है किंतु अपवाद स्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के (इ) व (एफ) खंडों के अंतर्गत बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से, प्रबंध निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण कर सकता है ।

11. निदेशक के पद का रिक्त होना

1. यदि कोई निदेशक खंड 10 में विनिर्दिष्ट किन्हीं अनर्हातों के अधीन आता है या बोर्ड से अनुमति लिए बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और तदुपरांत वह पद रिक्त हो जाएगा।
2. अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) या खंड (सी) या खंड (डी) में संदर्भित प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक सहित अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक निदेशक केंद्रीय सरकार को लिखित रूप में सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर यह माना जाएगा कि यह पद रिक्त हो गया है और अन्य निदेशक केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और यह त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा इसकी सूचना प्राप्ति से प्रभावी होगा।
3. उपरोक्त उपखंडों के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अधिनियम की धारा 9 के उपखंड 3 की उपधारा (3) के खंड (ई) और खंड (एफ) में संदर्भित निदेशक का पद, उक्त निदेशक के, उस राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसका वह निदेशक है, के कर्मचारी के अलावा कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त होते ही रिक्त हो जाएगा।
4. जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा निदेशक पद में कोई रिक्ति हो जाती है वहां वह रिक्ति अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसार भरी जाएगी।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना

11 ए : केन्द्रीय सरकार को छोड़कर अन्य शेरधारकों जो सभी शेरधारकों, द्वारा धारित कुल शेर पूंजी का कम से कम आधा भाग धारित करते हैं, के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा धारा 9 की उप धारा (3) के तहत निर्वाचित किसी निदेशक को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर रिक्ति को भरने हेतु दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं ।

11 बी : निर्वाचित निदेशक के पद की रिक्ति भरना:

1. जहां किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति होती है तो रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी, बशर्ते कि जहां रिक्ति की अवधि 6 महीनों से कम होने की संभावना है वहां शेष निदेशकों द्वारा उक्त रिक्ति भरी जा सकती है ।

2. उप खंड (1) के अन्तर्गत यथास्थिति निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पद ग्रहण करेगा।

निदेशकों द्वारा हितों की घोषणा:

12(8)

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से की गई या प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण व्यवस्था या प्रस्ताव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध या हित रखने वाला कोई निदेशक सम्बन्धित परिस्थितियों का ज्ञान होने के बाद यथाशीघ्र मंडल को अपने हित का स्वरूप घोषित करेगा और जब तक कोई सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा रहने पर ऐसा संविदा ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्ते कि उप खंड का कोई भी प्रावधान ऐसे निदेशक पर निम्न कारणों से लागू होगा :

- i) कंपनी अधिनियम, 2013 में यथापरिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी या भारत में तत्समय लागू किसी विधि द्वारा या उसके अन्तर्गत स्थापित किसी निगम या किसी सहकारी कंपनी में जिसके साथ या जिसमें उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई संविदा, ऋण व्यवस्था या प्रस्ताव किया हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, प्रदत्त पूंजी का दो प्रतिशत तक धारित करने वाला शेयरधारक (निदेशक के अलावा) है या
- ii) राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी या अन्य कर्मचारी यदि (अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ग) या (च) के अधीन) निदेशक है।

आन्ध्रा बैंक (शेयर तथा बैठक) विनियम, 2003

विनियम 10 : संयुक्त धारकों के अधिकारों का निष्पादन

यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम में हों, रजिस्टर में प्रथम व्यक्ति, शेयरों के अंतरण के अलावा, बैंक से जुड़े किन्हीं भी अन्य अथवा सभी विषयों, वोट करने, लाभांश की प्राप्ति तथा सूचना देने हेतु एकमात्र धारक माना जाएगा।

विनियम 61ए : चुनाव में जांचकर्ता

- (i) चुनाव होने पर बैठक के अध्यक्ष चुनाव में दिए गए वोटों की जांच करने तथा उस पर रिपोर्ट देने के लिए दो जांचकर्ताओं की नियुक्ति करेंगे।
- (ii) चुनाव के परिणाम घोषित करने से पहले किसी समय कार्यालय से जांचकर्ता को हटाने तथा कार्यालय में इसके कारण अथवा अन्य कारण से हुई रिक्ति को भरने का अधिकार बैठक के अध्यक्ष को होगा।
- (iii) इस विनियम के अंतर्गत नियुक्त 2 जांचकर्ताओं में से एक शेयरधारक, जो बैठक में उपस्थित हैं, (बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी न हो) होगा, बशर्ते कि वह शेयरधारक उपलब्ध हो तथा नियुक्ति के लिए इच्छुक हो।

विनियम 63 : आम बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक

- 1) धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (1) के अधीन आन्ध्रा बैंक की सामान्य बैठक में केंद्रीय सरकार को छोड़कर रजिस्टर में दर्ज शेयरधारकों द्वारा अपने में से ही किसी को निदेशक चुन लिया जाएगा।
- 2) जहां किसी सामान्य बैठक में निदेशक का चुनाव होने वाला हो, इसकी सूचना बैठक के आयोजन सम्बन्धी नोटिस में ही जोड़ दी जाएगी, इस प्रकार के हर नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या और रिक्तियों के विवरण, जिसके लिए चुनाव होने वाला हो, भी दिए जायेंगे।

विनियम 64: शेयरधारकों की सूची

- i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप विनियम (1) के अधीन निदेशक के चुनाव हेतु रजिस्टर से उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी जिसके द्वारा निदेशक का चुनाव किया जाएगा।
- ii) इस सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और विनिर्दिष्ट संख्या, शेयरों के पंजीकृत करने की तिथि और उस बैठक के लिए निर्धारित तारीख जिसमें यह चुनाव होगा, उस बैठक में जितने मतों के लिए वे हकदार होंगे उन मतों की संख्या आदि शामिल होगी और सूची की प्रतियां खरीदे जाने हेतु, बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले से निदेशक मंडल या प्रबन्धन समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर, प्रधान कार्यालय को आवेदन करने पर, उपलब्ध कराई जाएगी।

विनियम 65 : चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

- (i) निदेशक के रूप में चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन तभी वैध होगा जब
 - क) वह आन्ध्रा बैंक में 100 (एक सौ) शेयर रखने वाला शेयरधारक हो।
 - ख) उसे नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को इस अधिनियम के अधीन या इस योजना के अधीन निदेशक बनने के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो,

- ग) उसने अपने द्वारा, चाहे अकेले या अन्यो के साथ संयुक्त रूप से धारित बैंक के शेयरों के सम्बन्ध में मांग राशि अदा करने के लिए निश्चित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व मांग राशि अदा कर दी हो ।
- घ) नामांकन इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को चुनने का हक रखने वाले कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत् नियत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में हो, परन्तु यह कोई शेयरधारक, जो एक कंपनी हो, कथित कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जा सकेगा और जहां ऐसा किया जाता है वहां जिस बैठक में उक्त संकल्प पारित किया जाता है, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सही प्रति के रूप में सत्यापित कर बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित किया जाए और उक्त प्रति को सम्बन्धित कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा ।
- ङ) नामांकन में या उसके साथ उम्मीदवार द्वारा किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, आश्वासनों के पंजीयक या उप पंजीयक या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित इस आशय का एक घोषणा पत्र हो कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव हेतु खड़े होने का इच्छुक है और यह कि उसे इस अधिनियम के तहत या इस योजना या इन विनियमों के तहत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है ।
- ii) कोई नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह हर तरह से पूर्ण सभी सम्बन्धित दस्तावेज़ सहित आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निश्चित तिथि से 14 दिन पूर्व किसी कार्य दिवस को प्राप्त नहीं होता ।

विनियम 66 : नामांकनों की जांच :

- i) नामांकनों की प्राप्ति की निश्चित तिथि के बाद प्रथम कार्य दिवस को उनकी जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता तो उसका कारण दर्ज करने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा । यदि चुनाव द्वारा भरे जाने के लिए किसी एक खास रिक्त स्थान के लिए एक ही वैध नामांकन हो, तो इस तरह से नामांकित उम्मीदवार को तुरन्त चुन लिया गया मान लिया जाएगा और उसका नाम व पता उसके इस तरह चुन लिए जाने के रूप में प्रकाशित कर दिया जाएगा । ऐसी हालत में इस प्रयोजन हेतु बुलाई गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक उपर्युक्त चुनाव के प्रयोजन से बुलाई गई हो तो वह रद्द हो जाएगी ।
- ii) चुनाव होने की हालत में यदि वैध नामांकन चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हों तो जिस उम्मीदवार को अधिकतम मत मिलेंगे उसे निर्वाचित माना जाएगा ।
- iii) वर्तमान रिक्त स्थान भरने के लिए निर्वाचित निदेशक के लिए यह मान लिया जाएगा कि उसने निर्वाचित होने के दिन से अपना पद-भार ग्रहण कर लिया है ।

विनियम 67 : चुनाव सम्बन्धी विवाद :

- i) निर्वाचित माने गए या घोषित व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता अथवा किसी निदेशक के चुनाव की वैधता के सम्बन्ध में यदि कोई संदेह या विवाद उठता है, तो कोई इच्छुक व्यक्ति, जो ऐसे चुनाव में उम्मीदवार या मतदान का हक रखने वाला शेयरधारक हो, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा की तिथि से 7 दिन के अंदर उसके सम्बन्ध में लिखित रूप में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को सूचना भेज सकता है और ऐसी सूचना में उन आधारों का पूरा ब्योरा प्रस्तुत करेगा, जिनकी वजह से उस चुनाव की वैधता पर संदेह किया हो या विवाद उठाया गया हो ।
- ii) उप विनियम (1) के तहत सूचना प्राप्त होने पर आन्ध्रा बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (बी) और (सी) के तहत नामित किन्हीं दो निदेशकों से बनी समिति को संदर्भित करेंगे ।
- iii) उप विनियम (2) में संदर्भित समिति आवश्यकतानुसार जांच-पड़ताल करेगी और यदि वह पाती है कि चुनाव वैध था तो वह चुनाव के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी या यदि वह पाती है कि चुनाव वैध नहीं था तो वह जांच-पड़ताल प्रारम्भ करने की तिथि से 30 दिन के अंदर फिर से चुनाव कराने सहित ऐसा आदेश देगी और निर्देश देगी जो ऐसी समिति को उस परिस्थिति में न्याय-संगत प्रतीत होगा ।
- iv) इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति के आदेश और निर्देश अंतिम होंगे ।

विनियम 68 : मतदान अधिकारों का निर्णय

- i) अधिनियम की धारा 3 (2 ई) में निहित उपबन्धों के अधीन प्रत्येक शेयरधारक, जिसका सामान्य बैठक की तिथि से पूर्व रजिस्टर बन्द होने की तिथि तक शेयरधारक के रूप में पंजीकरण हुआ हो, ऐसी बैठक में हाथ दिखाकर एक मत और मतदान होने के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत दे सकेगा ।
- ii) अधिनियम की धारा 3 (2 ई) में निहित उपबन्धों के अधीन प्रत्येक शेयरधारक, जोकि एक कंपनी नहीं है, मतदान पूर्वोक्त रूप में करने का हक रखने वाला प्रत्येक शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से या प्राक्सी द्वारा उपस्थित हो या जो

एक कंपनी हो तो विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित हो तो प्रत्येक शेयरधारक हाथ दिखाकर एक मत देने और मतदान होने के मामले में ऊपर उप विनियम (1) में बताए अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक मत दे सकेगा ।

व्याख्या : इस अध्याय के लिए कंपनी से आशय कोई निगत निकाय है ।

- iii) आम बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने का हक रखने वाला शेयरधारक उनके बदले में बैठक में भाग लेने और मतदान करने हेतु अपनी प्राक्सी के रूप में किसी और व्यक्ति को (चाहे शेयरधारक हो या न हो) नियुक्त करने का हक रखते हैं परन्तु इस तरह नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का हक नहीं होगा ।

कृपया ध्यान दें कि शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के संबंध में वोटिंग केवल ई-वोटिंग तथा मतदान द्वारा होगी ।

विनियम 69 : विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

- i) ऐसा शेयरधारक जो केन्द्र सरकार या एक कंपनी हो, यथास्थिति संकल्प द्वारा किसी सामान्य बैठक में प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी पदाधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस तरह प्राधिकृत व्यक्ति को (इन विनियमों में विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में संदर्भित) केन्द्र सरकार या कंपनी, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो, की तरफ से उन सभी शक्तियों का प्रयोग करने का हक होगा जैसे कि वह बैंक का व्यक्तिगत शेयरधारक हो, इस तरह दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसे मामले में ऐसे व्यक्ति केंद्रीय सरकार/कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकते हैं ।
- ii) कोई भी व्यक्ति तब तक कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में आन्धा बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकेगा और मतदान नहीं कर सकेगा जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए जिस बैठक में संकल्प पारित किया गया हो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सही प्रति के रूप में सत्यापित कर उसे आन्धा बैंक के प्रधान कार्यालय को बैठक के लिए निश्चित तिथि से 4 दिन पूर्व प्रेषित नहीं कर दिया जाता ।

विनियम 70 : प्राक्सी

- i) प्राक्सी की कोई भी लिखित तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उनके या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो या संयुक्त धारकों के मामले में वह रजिस्टर में दर्ज शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो या निगम निकाय के मामले में उसे अधिकारी या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो । बशर्त कि किसी प्राक्सी की लिखित पर किसी ऐसे शेयरधारक के पर्याप्त रूप में हस्ताक्षर होंगे, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता हो । यदि उसपर उसका निशान लगा दिया जाए और वह निशान किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, आशवासनों के पंजीयक या उप पंजीयक या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या आन्धा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाए ।
- ii) कोई भी प्राक्सी तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् मुद्रांकित न हो और उसकी प्रति बैठक के लिए निश्चित तिथि से कम से कम 4 दिन पूर्व आन्धा बैंक के प्रधान कार्यालय में मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकार पत्र के साथ (यदि कोई हो) जिसके तहत वह हस्ताक्षरित है या उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार की प्रति जो नोटरी पब्लिक या दंडाधिकारी द्वारा सही प्रति के रूप में सत्यापित हो, जमा न करा दी गई हो, बशर्त कि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पत्र आन्धा बैंक में पहले ही जमा एवं पंजीकृत न कराया जा चुका हो ।
- iii) प्राक्सी सम्बन्धी कोई लिखित तब तक वैध नहीं होती जब तक कि वह फार्म बी में न हो ।
- iv) आन्धा बैंक में जमा कराई गई प्राक्सी की लिखित अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी ।
- v) वैकल्पिक रूप में अनुमोदित व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर प्राक्सी लिखित के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किए जायेंगे ।
- vi) इस विनियम के अंतर्गत प्राक्सी के लिखित को बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने का अधिकार नहीं होगा, जिससे ऐसा लिखित सम्बन्धित हो ।
- vii) जो व्यक्ति आन्धा बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है, उस व्यक्ति को विधिवत् प्राक्सी या प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा ।
- viii) प्राक्सी फार्म में सभी संशोधन यथाविधि अधिप्रमाणित होने चाहिए ।

भारिबैं के सही एवं उचित मानदण्ड संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त

भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3एए) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण)

अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के बोर्ड में निदेशकों के रूप में चुने गए व्यक्तियों द्वारा पूर्ति किए जाने वाले "सही एवं उचित" मानदण्ड को निर्धारित करते हुए दि. 1 नवम्बर 2007 को अधिसूचना सं डीबीओडी.बीसी.सं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 जारी की है।

अधिसूचना की मुख्य विशेषताएँ

"सही एवं उचित" स्थिति इत्यादि के निर्णय हेतु प्राधिकारी, पद्धति/प्रक्रिया और मानदंड निम्नलिखित हैं:-

क) प्राधिकारी :

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निदेशक मंडल में से न्यूनतम तीन निदेशक युक्त "नामांकन समिति" गठित करना अपेक्षित है। निदेशक मंडल को उनमें से एक को नामांकन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित भी करना चाहिए। अध्यक्ष सहित आवश्यक कोरम तीन है। पहले से ही नामित किसी सदस्य की अनुपस्थिति के मामले में उनके स्थान पर निदेशक मंडल किसी अन्य स्वतंत्र निदेशक को अगली बैठक के लिए नामित कर सकते हैं। नामांकन समिति गठित करते समय बोर्ड उसकी अवधि के बारे में निर्णय ले सकते हैं।

ख) पद्धति एवं प्रक्रिया :

नामांकन समिति द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के अंतर्गत वर्तमान चयनित निदेशकों/ निदेशक के रूप में चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की "सही एवं उचित" स्थिति तय करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। बैंक को इस प्रयोजन हेतु चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों/चयनित वर्तमान निदेशकों से संलग्न फार्मेट(अनुबंध 1) में आवश्यक सूचना एवं घोषणा प्राप्त करनी चाहिए। चुनावी उम्मीदवारों का नामांकन स्वीकारने की अंतिम तिथि से पहले नामांकन समिति की बैठक आयोजित कर के निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर व्यक्ति की उम्मीदवारी स्वीकरी जाए अथवा नहीं यह निर्णय किया जाना चाहिए। समिति की चर्चाओं को उचित रूप से बैठक के औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में रिकार्ड किया जाना चाहिए और यदि वोटिंग की गई हो तो उसे वर्तमान एवं प्रस्तावित निदेशकों दोनों के मामले में नोट भी किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई सूचना के आधार पर, नामांकन समिति को उम्मीदवार को स्वीकारने या अस्वीकारने और जहाँ आवश्यक हो, उपयुक्त प्राधिकारी/व्यक्तियों से सूचित अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क किया जाए।

ग) मानदंड

नामांकन समिति को वर्तमान चयनित निदेशकों/ प्रस्तावित उम्मीदवारों की "सही एवं उचित" स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर करना चाहिए:

- (i) शैक्षिक योग्यता
- (ii) अनुभव एवं निपुणता का क्षेत्र
- (iii) अब तक का निष्पादन एवं सत्यनिष्ठा

(उपर्युक्त सूची केवल संकेतात्मक है, संपूर्ण नहीं।)

नामांकन समिति को यह देखना चाहिए कि क्या उपर्युक्त किन्हीं भी मानदंडों के गैर-अनुपालन से वर्तमान चयनित/प्रस्तावित उम्मीदवार बैंक के बोर्ड के निदेशक के रूप में कार्य निर्वाह में बाधक होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्राधिकारी/नियामक एजेंसी को उम्मीदवार के संबंध में प्रतिकूल सूचना प्राप्ति या दिवालिया होना या किसी बैंक या वित्तीय संस्था के किसी ऋण का चूककर्ता होना उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक बनने के लिए अपात्र और अनुचित बना देगा।

घ) अन्य मामले

यह आवश्यक है कि भारिबैं परिपत्र डीबीओडी.सं.बीसी.116/08.139.001/2001-02 दि. 20 जून 2002 और प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को भी जारी परिपत्र द्वारा डॉ गांगुली ग्रूप की संस्तुति के अनुसार चयनित निदेशकों द्वारा सार्वजनिक हित में प्रतिज्ञा पत्र विलेख का निरूपादन सुनिश्चित किया जाए।

सभी चयनित निदेशकों द्वारा प्रत्येक वर्ष दि. 31 मार्च को एक सामान्य घोषणा देना भी अनिवार्य है कि उनके द्वारा पहले ही प्रदत्त सूचना में कोई परिवर्तन नहीं है और जहाँ कोई परिवर्तन है उसके लिए अपेक्षित विवरण निदेशकों द्वारा प्रस्तुत है। यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो तो नामांकन समिति को पुनः समुचित सावधानी प्रक्रिया अपनाकर निदेशक की सही एवं उचित स्थिति की जाँच करनी होगी।

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के चयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त - दि.01.06.2011 के भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्त जो दि.03 सितम्बर 2013 के भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन द्वारा लागू किए गए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं इत्यादि के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों(एनओडी) के नामांकन के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाए।

सामान्य

1. संबद्ध अधिनियम/ नियमों के प्रावधानों को दृष्टि में रखते हुए नामांकन किया जाएगा ।
2. औपचारिक योग्यता और निपुणता, कार्यनिष्पादन, सत्यनिष्ठता इत्यादि के अनुसार नामितियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाए । सत्यनिष्ठता और उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए अपराधिक रिकार्ड, वित्तीय स्थिति, वैयक्तिक उधार वसूलने के लिए की गई सिविल कार्रवाई, व्यावसायिक निकायों में प्रवेश या निष्कासन, नियामकों और ऐसे निकायों द्वारा दी गई मंजूरीयाँ और पिछली आपतिजनक व्यवसायिक प्रथाओं पर निर्भर किया जा सकता है ।
3. कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारी, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, विधि, विपणन, उद्योग और आईटी के क्षेत्रों में विशेष शैक्षिक प्रशिक्षण युक्त व्यक्तियों पर साधारणतया विचार किया जाएगा।
4. जहाँ तक हो सके महिलाओं और अनु.जा/अनु.ज.जा समुदाय के व्यक्तियों का भी प्रतिनिधित्व किया जाए।

शिक्षा

1. एनओडी को कम से कम स्नातक होना चाहिए ।
किसानों, जमाकर्ताओं और कारीगरों के मामले में कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन से शैक्षिक योग्यता में छूट दी जा सकती है ।
(नामांकन समिति को अपने विवेकाधिकार के अंतर्गत छूट देने का अधिकार है ।)

आयु

1. नियुक्ति बोर्ड की संस्तुति-तिथि को निदेशक की आयु 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए । और कोई छूट अपेक्षित नहीं है । फिर भी केवल एसीसी के अनुमोदन से आयु की ऊपरी सीमा में छूट दी जा सकती है तथा मंत्रालय द्वारा कारण दर्ज किए जाएं ।

कार्य-अनुभव

1. व्यवसायिकों/एकेडेमिशियंस को साधारणतया विशेष क्षेत्र में 10 वर्ष का कार्य-अनुभव होना चाहिए ।

अयोग्यता

1. किसी भी क्षेत्र में बैंक/वित्तीय संस्था में पहले ही किसी निदेशक पर किसी अन्य बैंक/एफआई में एनओडी के रूप में नामांकन हेतु विचार न किया जाए ।
2. किराया खरीद, वित्त-पोषण, निवेश, पट्टे तथा अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति, एमपी, एमएलए, एमएलसी तथा स्टॉक-ब्रोकर्स को बैंक/एफआई के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।
3. किसी व्यक्ति को, किसी बैंक/एफआई के बोर्ड में एनओडी के रूप में पुनः नामांकित न किया जाए, जिसमें 2 अवधि अथवा 6 वर्ष हेतु जो भी अधिक हो, किसी भी श्रेणी में पूर्व में निदेशक के रूप में कार्य किया हो ।
4. किसी एनओडी के नाम पर किसी बैंक/एफआई के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा निदेशक 6 वर्ष हेतु किसी अन्य बैंक/एफआई के, चाहे लगातार या अंतराल में, बोर्ड में पहले ही एनओडी शेर-धारक निदेशक रहा हो । (गैर-सरकारी निदेशकों हेतु 6 वर्ष की अवधि का सामान्य नियम सीए श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त निदेशकों पर भी लागू होना चाहिए।)

व्यावसायिक प्रतिबंध

1. एनओडी को उस बैंक/एफआई के निदेशक के रूप में पद-भार छोड़ने के पश्चात 2 वर्ष हेतु बैंक/एफआई का कोई कार्य नहीं सौंपा जाएगा/नहीं स्वीकारेगा ।
2. किसी बैंक में एनओडी के रूप में अपनी अवधि के दौरान, ऐसा निदेशक उस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में कोई व्यावसायिक कार्य(सांविधिक लेखा परीक्षा), संगामी लेखा, विधि-रिटेनरशिप अथवा वकील के रूप में सूचिबद्ध होना आदि स्वीकार नहीं करेगा । भारतीय स्टेट बैंक के मामले में, ऐसे प्रतिबंध एसोशिएट बैंकों को भी कवर करेंगे। तथापि, किसी अन्य बैंक/बीमा कंपनी के मामले में, फर्म को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए बशर्ते कि फर्म के उस भाग के व्यवसाय से जहाँ उसके हित में गैर-सरकारी निदेशक अपने आप को अलग रखता/ रखती हो ।
3. यदि बैंक के साथ व्यवसायिक संबंध रखने वाला व्यक्ति किसी बैंक के बोर्ड पर नामित होने के लिए चुना जाता है तो उसे ऐसी नियुक्ति से पहले बैंक से अपने संबंध समाप्त करने होंगे ।
4. पीएसबी के बोर्ड पर ऐसे व्यावसायिकों को नामित नहीं किया जाएगा जिनके साथ ऐसे नामांकन से पूर्व तीन वर्षों तक व्यवसायिक संबंध रहे हों ।

क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में देश के सभी 6 अंचलों उत्तर, दक्षिण, पूरव, पश्चिम, केंद्रीय ओर उत्तर-पूर्व से एक साथ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए ।

ELECTION OF DIRECTORS – EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS ETC.

In terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Shareholder Directors shall have to be appointed depending upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3.

The relevant Sections of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and the relevant regulations of Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (hereinafter referred to as the “Regulations”), respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Prohibition of common Directors – Section 16 (1)

No Banking company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances – Section 20

- 1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 67 of the Companies Act, 2013, no Banking company shall -
 - (a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - (b) enter into any commitment for granting any loan or advance or advance to or on behalf of –
 - (i) any of its Directors,
 - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - (iii) any Company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which (or the subsidiary or the holding Company of which) any of the Directors of the Banking Company is a Director, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.
- 2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of Sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, (or is granted by Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement), steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance, or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5;
Provided that the Reserve Bank of India may, in any case on an application made in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank of India may deem fit;
Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.
- 3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank of India, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- 4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such person shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section –

- (a) “**Loan or advance**” shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realised, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;
 - (b) “**Director**” includes a member of any Board or Committee in India constituted by a Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
- 5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank of India, whose decision thereon shall be final.

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980

Restrictions on voting rights

3(2E) No shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Composition of the Board of Directors

9 (3) (i) Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is: -

- (I) Not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, one Director.
- (II) More than sixteen per cent but not more than thirty-two percent of the total paid-up capital, two Directors.
- (III) More than thirty-two percent of the total paid-up capital, three Directors.

to be elected by the shareholders other than the Central Government, from amongst themselves:

Provided that on the assumption of charge after election of any such Directors under this clause, equal number of Directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of Directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006, in the corresponding new bank exceed the number of Directors specified in sub clause (I) or sub clause (II) or sub clause (III), as the case may be, such excess number of Directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for premature retirement of the term of office.

9(3A) The Directors to be nominated under clause (h) or elected under the said clause (i) shall-

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following namely:-

- i. agriculture and rural economy
- ii. banking
- iii. co-operation
- iv. economics
- v. finance
- vi. law
- vii. small scale industry
- viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.

(B) represents the interest of depositors; or

(C) represents the interest of farmers, workers and artisans.

9(3AA) Without prejudice to the provisions of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as Reserve Bank of India may inform from time to time in this regard.

9(3AB) The Reserve Bank of India may also specify in the notification issued under sub section 3(AA), the authority to determine, the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

9(3B) Where the Reserve Bank of India is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and 3(AA), it may, after giving, to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirements of sub-section and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

13(2) Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other Employee of a corresponding new Bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980

9 Term office of elected Director

9(4) An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election:

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

10 Disqualification of Directors

A person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director:

- (a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- (b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (c) if he has been convicted by criminal court or an offence which involves moral turpitude; or
- (d) if he holds any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a Whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the Bank.

11. Vacation of office of Directors

1. If a Director becomes subject to any of disqualification specified in clause 10, or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
2. The Chairman or a Whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
3. Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-clause, the office of the Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of Sub-clause 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee, other than a workman of the Nationalised Bank of which he is a Director.
4. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director

11A: The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by a majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

11B: Filling of vacancy in the office of elected Director

- (1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.
Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining Directors.
- (2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

DISCLOSURE OF INTEREST BY DIRECTORS

12(8) A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the nationalised Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- (i) a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid-up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 2013, or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the nationalised Bank has entered into or made, or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or
- (ii) an officer or other employee of the nationalised Bank, if he is a Director (referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act).

ANDHRA BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2003

Regulation 10: Exercise of rights of joint holders

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividend, service of notices and all or any other matters connected with the Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Regulation 61A: Scrutineers at Poll

- (i) Where a poll is to be taken, the Chairman of the Meeting shall appoint two scrutineers to scrutinize the votes given on the poll and to report thereon to him.
- (ii) The Chairman of the meeting shall have the power, at any time before the result of the poll is declared, to remove a scrutineer from the office and to fill the vacancy in the office of the scrutineers arising from such removal or from any other cause.
- (iii) Of the two scrutineers appointed under this Regulation one shall always be a shareholder (not being an Officer or Employee of the Bank) present at the meeting; provided that such a shareholder is available and willing to be appointed.

Regulation 63: Directors to be elected at general meetings

- (1) A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the general meeting of the Bank.
- (2) Where an election of Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

Regulation 64: List of shareholders

- (i) For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- (ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares are registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee on application at the Head Office.

Regulation 65: Nomination of candidates for election

- (i) No nominations of a candidate for election as a Director shall be valid unless,
 - (a) he is a shareholder holding not less than 100 shares in the Bank;
 - (b) he is as on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme;
 - (c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - (d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;
 - (e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any other nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.
- (ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Regulation 66: Scrutiny of nominations

- (i) Nominations shall be scrutinised on the first working day following the date fixed for the receipt of nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.

- (ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii) A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

Regulation 67: Election disputes

- (i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification or a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he/she doubts or disputes the validity of the election.
- (ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- (iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Regulation 68: Determination of voting rights

- (i) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- (ii) Subject to the provisions in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who not being a Company is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)
Explanation- for this chapter, "Company" means any body corporate.
- (iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

PLEASE NOTE THAT the voting in respect of electing shareholder directors shall only be done by e-voting and POLL.

Regulation 69: Voting by duly authorised representative

- (i) A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he was an individual shareholder of the Bank. The authorisation so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorised representative of the Central Government/ Company.
- (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

Regulation 70: Proxies

- (i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing, or in the case of a body corporate, signed by the duly authorised representative or an attorney duly authorised in writing.
Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Andhra Bank.
- (ii) No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof is deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority, if any under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as true copy by a Notary Public, or a Magistrate unless such a power of Attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

- (iii) No Instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B".
- (iv) An instrument of proxy deposited with the Bank shall be **irrevocable and final**.
- (v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- (vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- (vii) No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Andhra Bank.
- (viii) All alterations in the proxy form should be duly authenticated.

RBI'S FIT AND PROPER CRITERIA GUIDELINES

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections(3AA) and (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued Notification DBOD.BC.No.46 and 47 / 29.39.001 / 2007-08 dated November 01, 2007 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Nationalised Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

SALIENT FEATURES OF THE NOTIFICATION

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper" status etc., are as under:

a) Authority:

All the nationalized banks are required to constitute a "Nomination Committee" consisting of a minimum of three directors (all independent/non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the Nomination Committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the Nomination Committee the Board can decide on its tenure.

b) Manner and procedure:

The nomination committee should undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act *ibid*. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the format prescribed from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide whether or not the person's candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed Directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

c) Criteria

The nomination committee should determine the 'fit and proper' status of the existing elected directors/proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- (i) Educational qualification
- (ii) Experience and field of expertise
- (iii) Track record and integrity

(The above list is only illustrative and not exhaustive.)

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank.

d) Other matters

It is desirable that it is ensured, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (as recommended by the Dr.Ganguly Group vide RBI circular DBOD. No.BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20th June 2002 and also every year as on 31st March.

It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'fit and proper' status of the director.

GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON- OFFICIAL DIRECTOR – GOI GUIDELINES DATED 01.06.2011 as made applicable vide GOI Office Memorandum dated 3rd September 2013

The following criteria may be adopted for nomination of part- time non-official directors (NOD) on the boards of public sector banks/financial institutions etc.

GENERAL

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualification and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.
3. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, law, marketing, industry and IT will ordinarily be considered.
4. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

EDUCATION

1. An NOD should at least be a graduate
Educational qualifications may be relaxed with the approval of Appointments Committee of the Cabinet (ACC) in case of farmers, depositors and artisans.
(Nomination Committee of the Board is empowered to relax at their discretion)

AGE

1. The age of the Director, on the date of recommendation by Appointments Board, [should be between 35 years and 65 years. No further relaxation is desirable. However, the upper age limit may be relaxed only with the approval of the ACC and for reasons to be recorded by the Ministry].

WORK EXPERIENCE

1. Professionals/academicians should ordinarily have 10 years of work experience in the particular field.

DISQUALIFICATION

1. A director already on a Bank/FI, under any category, may not be considered for nomination as NOD on any other Bank/FI.
2. Persons connected with hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs.
3. No person may be renominated as a NOD on the Board of a Bank/ FI on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.
4. An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI if such Director has already been a NOD / shareholder-Director on the board of any other Bank/FI for six years, whether continuously or intermittently. [The general rule of two terms for six years for Non-Official Directors should apply to the Directors appointed under CA Category also].


PROFESSIONAL RESTRICTION

1. NOD will not accept/will not be allotted any work of the Bank/FI for two years after demitting office as Director of that Bank/FI.
2. During his term as NOD on any Bank, such Director will not undertake any professional work (statutory audit, concurrent audit, legal retainership or empanelment as a lawyer etc.) in that Public Sector Bank. In the case of SBI, such restrictions will cover Associate Banks as well. However, in respect of any other bank / insurance company, the firm should be allowed to be engaged, provided the non-official director recluses himself / herself from handling that part of the business of the firm, where there may be conflict of interest.
3. If a person having professional relationship with bank, including cooperative bank, is selected for being nominated on the board of any bank, he will have to sever his connection with the bank before such appointment.
4. Professionals shall not be nominated on the board of a PSB with which they had a business relationship during the last three years before such nomination.

REGIONAL REPRESENTATION

Effort should be made to ensure representation of all the six zones of the country – North, South, East, West, Central and North-East – on the Boards of Public Sector Banks together.

स्पीड पोस्ट SPEED POST



यदि सुपुर्द न किया गया हो तो निम्न को वापस करें :
मेसर्स एमसीएस लिमिटेड,
यूनिट : आन्ध्रा बैंक
काशीराम जमनादास बिल्डिंग, ऑफिस संख्या 21/22
भूतल 5, पी डी मेलो रोड,
घडियाल गोदी, मुम्बई - 400009
दूरभाष नं. : 022-23726253/54/55
ई. मेल आई डी uday_mcs@yahoo.in

If Undelivered, Please return to:
M/s. MCS Limited,
Unit : Andhra Bank
Kashiram Jamnadas Bldg, Office No. 21/22,
Ground Floor 5, P.D'Mello Road,
Ghadiyal Godi, Mumbai - 400 009.
Ph. No. : 022-23726253/54/55
E-mail ID : uday_mcs@yahoo.in



(A Govt. of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004.

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.